शिक्षा विभाग

का

कार्य बजट

1980-81

NIEPA DC
D00084

भारत सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली
1980

Sub. National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....
Date.....

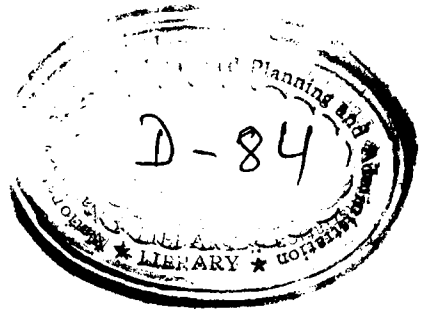

भूमिका

इस प्रलेख में शिक्षा विभाग के सभी विकासशील कार्य-कलाप शामिल हैं । इसका उद्देश्य विभाग के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार की गई परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा कार्य-कलापों पर प्रकाश डालना है ।

अध्याय I में विभाग के उद्देश्यों के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तावना टिप्पणी, मोटे तौर पर कार्यक्रम का वर्गीकरण और इन उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी प्रमुख संस्थाओं का उल्लेख किया गया है ।

अध्याय II में शिक्षा नीति की सामान्य समीक्षा तथा उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जहां विशेष प्रयास अपेक्षित है ।

अध्याय III में विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है ।

अध्याय IV में अलग-अलग परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के क्षेत्र तथा उद्देश्यों और उनकी अनुमानित लागत, लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के बारे में यथासम्भव बताया गया है ।

यह उल्लेखनीय है कि जहां कोई सम्भावना नहीं है वहां परिणामों की मात्रा आंकने के लिए कार्य बजट में कोई प्रयास नहीं किया गया है, और न ही इसका अभिप्राय यह हैं कि कार्य के मूल्यांकन अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में निर्णय केवल मात्रात्मक रूप से किया जाए ।

विषय-सूची

पृष्ठ

अध्याय I

प्रस्तावना 1

अध्याय II

सामान्य समीक्षा 3

अध्याय III

कार्यक्रमवार योजनागत तथा योजनेत्तर वित्तीय परिव्यय 5

अध्याय IV

क. स्कूल शिक्षा 6

ख. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 14

ग. प्रौढ़ शिक्षा 19

घ. छात्रवृत्तियां 21

ङ. युवा सेवाएं, खेल-कूद तथा शारीरिक शिक्षा 24

च. पुस्तक उन्नति 32

छ. हिन्दी का विकास 36

ज. आधुनिक भारतीय भाषाएं 38

झ. संस्कृत 40

ञ. तकनीकी शिक्षा 43

ट. सचिवालय 49

अध्याय I

प्रस्तावना

कार्य

शिक्षा विभाग के कार्य हैं : शिक्षा नीति का सभी पहलुओं से मार्गदर्शन तथा समन्वय करना और उच्च शिक्षा के स्तरों का निर्धारण व विकास करना। यह विभाग, तकनीकी शिक्षा के विस्तार तथा विकास, पाठ्यपुस्तकों की कोटि में सुधार करने, युवक सेवाओं तथा खेलों के प्रोत्साहन, छात्रवृत्तियों तथा अन्य योजनाओं के प्रशासन, यूनेस्को के साथ सहायता कार्यक्रमों तथा अन्य कार्य-कलापों के समन्वय, सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के विकास तथा समन्वय, संस्कृत तथा अन्य श्रेण्य भाषाओं में अध्ययन तथा अनुसंधान के प्रोत्साहन तथा विकास, अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य-कलापों के विकास और प्रौढ़-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी जिम्मेदार है।

कार्यक्रम/उप-कार्यक्रम

शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है :—

1. स्कूल शिक्षा
2. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा
3. प्रौढ़-शिक्षा
4. छात्रवृत्तियां
5. युवक सेवाएं, खेल-कूद तथा शारीरिक शिक्षा
6. पुस्तक प्रोन्नति
7. हिन्दी
8. आधुनिक भारतीय भाषाएं
9. संस्कृत
10. तकनीकी शिक्षा
11. सचिवालय।

क. स्कूल शिक्षा

इस क्षेत्र की प्रमुख संस्थाएं हैं :

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली
4. बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली

ख. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

इस क्षेत्र में प्रमुख संस्थाएं हैं :

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
2. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
3. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद
4. भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर
5. भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता
6. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
7. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली !

ग. प्रौढ़-शिक्षा

इस क्षेत्र में प्रमुख संस्थाएं तथा कार्यक्रम हैं :

1. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली
2. श्रमिक विद्यापीठ

घ. छात्रवृत्तियां

देश में तथा देश के बाहर उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की योजनाओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है।

ङ. युवक सेवाएं, खेल-कूद तथा शारीरिक शिक्षा

इस क्षेत्र में प्रमुख संस्थाएं हैं :

1. नेहरू युवक केन्द्र
2. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर
3. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान, पटियाला।

च. पुस्तक प्रोन्नति

इस क्षेत्र में प्रमुख संस्थाएं तथा कार्यक्रम हैं :

1. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नयी दिल्ली
2. राजा राममोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र, नई दिल्ली।

छ. हिंदी का विकास

इस क्षेत्र में प्रमुख संस्थाएं हैं :

1. हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा
2. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।

ज. आधुनिक भारतीय भाषाएं

इस क्षेत्र में प्रमुख संस्था है :

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ।

झ. संस्कृत

इस क्षेत्र में प्रमुख संस्था, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली है।

ञ. तकनीकी शिक्षा

इस क्षेत्र में प्रमुख संस्थाएं हैं :

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
2. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
3. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
4. आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नयी दिल्ली
5. राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची।
6. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई।

ट. सचिवालय

अध्याय II

सामान्य समीक्षा

ववर्ष 1979-80 से पहले के 18 महीनों के दौरान, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में कार्यदल गठित किए गए और उनकी रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर तथा परामर्श और विचार-विमर्श करने के बाद राष्ट्रीयय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया और उसे संसद पटल पर रखा गया।

आयोजना और संचालन

अभ्यालोच्य वर्ष के दौरान वर्ष 1980-81 के लिए शिक्षा की केकेन्द्रीय वार्षिक योजना पर विचार किया गया। योजना आयोगग, वर्ष 1980-81 के दौरान 88.30 करोड़ रुपये की केन्द्रीयय योजना के लिए सहमत हो गया। इस मंत्रालय ने राज्यों की 1980-81 की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श और उसे अन्तिम रूप देने में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना

66-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने से संबंधित कार्यक्रमों को ससर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसे संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है और इन कार्यक्रमों के लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो कि 1978--83 के लिए योजना प्रारूप में शिक्षा के लिए योजनागत के अन्तर्गत कुल आवंटन का 45.3 प्रतिशशत है।

प्रप्राथमिक स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 418 लाख है। इनमें से अधिकांश बच्चे समाज के कमजोर वर्गों के हैं जिनके लिए शिक्षा को व्यापक बनाने से संबंधित कार्यक्रम के लिए एक व्यवहार्य नीति की जरूरत है। प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने से संबंधित कार्यदल ने 19832-83 तक 320 लाख अतिरिक्त दाखिले के लक्ष्य की सिफारिश की है।

वकार्यदल की सिफारिशों के आधार पर 9-14 आयु वर्ग केके बच्चों के वास्ते अनौपचारिक शिक्षा संबंधी प्रयोगात्मक परियोजनाओं के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को केन्द्रीयय सहायता की एक विशेष योजना शुरू की गई है।

प्रौढ़ शिक्षा

2 अक्तूबर, 1978 से शुरु किया गया राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा हैं यद्यपि देश के कुछ भागों में इस कार्यक्रम के प्रसार और विस्तार में कुछ भिन्नताएं देखने में आई हैं। सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अपने कार्यकलापों को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, स्वैच्छिक एजेंसियों, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों, नेहरू युवक केन्द्रों और सार्वजनिक उपक्रमों आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से अथवा उसके बगैर, जून, 1979 के अन्त तक 94,000 से अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे थे। कार्यक्रमों के समन्वय तथा विकासात्मक कार्यकलाप से इसे जोड़ने का काम राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड द्वारा तथा राज्य और जिला स्तरों पर ऐसे ही बोर्डों द्वारा किया गया।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना की योजना के लिए सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और 1979-80 के दौरान 36 नयी परियोजनाएं संस्वीकृत की गई जिनसे इनकी कुल संख्या 245 हो गई।

वर्ष 1979-80 के दौरान लगभग 650 स्वैच्छिक एजेंसियों को लगभग 30,000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए सहायता दी गई और आशा की गई कि इन केन्द्रों से 9 लाख निरक्षर प्रौढ़ लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रमों के संचालन के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया का विकास करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

शहरी श्रमिकों के लिये प्रौढ़ शिक्षा योजना के अधीन स्थापित श्रमिक विद्यापीठों ने अपने शिक्षा तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम के जरिये श्रमिकों की जरुरतों की पूरा करना जारी रखा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की इसके सभी पहलुओं से समीक्षा करने और इन कार्यक्रमों में सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए अक्तूबर, 1979 में डा० डी०एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।

व्यावसायीकरण

राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसरण में यह योजना अप्रैल, 1979 से राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी गई। 15 राज्यों के चुने हुए 131 जिलों में व्यावसायिक

7 E.S. & C./80—2.

सर्वेक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कर्नाटक के 9 जिलों में और महाराष्ट्र के 8 जिलों में केन्द्रीय सहायता से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए।

पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण

पाठ्यविवरणों और पाठ्यक्रमों की नियमित समीक्षा के अतिरिक्त केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्तरों पर अध्ययन के अनिवार्य विषय के रूप में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य भी लागू किया।

उच्च शिक्षा

वर्ष 1979-80 के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दाखिले में स्थिरता रही। पांचवीं योजना अवधि के दौरान अपनायी गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की अनियोजित वृद्धि में कमी आई। आयोग ने, शैक्षिक अवसरों में समानता लाने की दृष्टि से उपचारी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था तथा सीटों का आरक्षण जैसे विशेष कदम उठाए हैं। आयोग का पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाले लगभग 100 ऐसे कालेजों को चुनने का भी प्रस्ताव है जिन्हें दाखिले/संकाय संख्या तथा सहायता की पद्धति से संबंधित शर्तों में और अधिक ढील दी जा सके।

आयोग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में ये शामिल हैं—उच्च अध्ययन केन्द्रों को विशेष सहायता, कालेजों का विकास, पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, परीक्षा सुधार और संकाय सुधार संबंधी कार्यक्रम।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम हुआ है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय विन्दु के रूप में सामुदायिक पालिटेक्निकों का विकास।

वर्ष 1978-79 के दौरान ऐसे 35 पालिटेक्निकों को चुना गया। इन्हीं आधारों पर, 1980-81 के दौरान सामुदायिक कालेजों के रूप में कुछ इंजीनियरी कालेजों को शामिल करके सामुदायिक विकास के काम की शुरुआत करने का प्रस्ताव है। जैसी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने सिफारिश की है, चुने हुए पालिटेक्निकों को उच्च स्तरीय तकनीकी कार्यक्रमों के संचालन के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

खेलकूद तथा युवा कार्यकलाप

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और/कालेजों के छात्रों को विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों में शामिल करके उनमें समुदाय के सामाजिक कल्याण के प्रति जागरूकता का विकास करना है। यह योजना वर्ष के दौरान जारी रही। यह योजना लगभग सभी राज्यों तथा विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है और 1979-80 के दौरान दाखिला 4.5 लाख था। कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार किया गया है ताकि +2 स्तर के छात्रों को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सके।

राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना, 130 नेहरू युवक केन्द्रों और 30 से अधिक स्वच्छिक एजेंसियों में तैनात किए गए 350 कर्मियों के साथ जारी रही।

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद की प्रोन्नति के लिए सरकार के कार्यक्रम के कार्यान्वयन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं और इस संबंध में छठी योजना की केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर जारी रखा गया।

वर्ष 1970-71 में शुरु किए गए ग्रामीण खेल टूर्नामेंट के देशव्यापी कार्यक्रम में अब खण्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 15 लाख ग्रामीण युवा प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। 1979-80 के दौरान 10वां अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट चार उप-वर्गों में आयोजित किए गए। राष्ट्रीय महिला खेल समारोह भी प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इस श्रृंखला का पांचवा समारोह जबलपुर में जनवरी 1980 में आयोजित किया गया जिसमें 28 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की 2000 महिलाओं ने भाग लिया।

16 उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को खेलकूद में उनके योगदान के लिए सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

विश्व पुस्तक मेला

चौथा विश्व पुस्तक मेला 29 फरवरी से 11 मार्च, 1980 तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर डाक-तार विभाग ने एक विशेष टिकट जारी किया।

अध्याय III

वित्तीय परिव्यय के सार

कार्यक्रम-वार योजनागत तथा योजनेतर वित्तीय परिव्यय

(लाख रु० में)

कार्यक्रम	बजट अनुमान 1979-80		संशोधित अनुमान 1979-80		बजट अनुमान 1980-81	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1	2	3	4	5	6	7
स्कूल शिक्षा	1050.00	2395.39	529.50	2407.52	824.90	2643.91
विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	2850.00	6004.18	2907.00	*6320.00	3272.50	6476.25
प्रौढ़ शिक्षा	1900.00	174.69	1361.23	172.03	1985.00	177.53
छात्रवृत्तियां	145.00	674.21	122.50	664.96	185.50	675.96
युवक सेवा तथा खेल कूद	260.00	957.78	220.12	**877.42	320.43	1547.21
पुस्तक प्रोन्नति	59.00	20.76	54.38	27.09	58.75	30.91
हिन्दी	90.00	111.02	76.08	103.40	100.00	111.87
आधुनिक भारतीय भाषाएं	196.18	61.00	174.92	58.04	181.00	69.15
संस्कृत	107.50	75.89	117.73	76.79	125.00	83.35
तकनीकी शिक्षा	1600.00	3194.22	1488.91	3116.19	1750.00	3313.90
फुटकर	105.00	616.86	17.30	461.87	26.52	530.80
योग	8362.68	14286.00	7069.67	14285.31	8829.60	15660.84
अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए एकमुश्त राशि की व्यवस्था		+5.01	—	—	—	252.59

*विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग के लिए 1000 रुपए का नाममात्र अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया है।

** एशियाई खेल, 1982 के लिए 5.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया है।

कार्यक्रम	बजट अनुमान 1979-80		संशोधित अनुमान 1979-80		बजट अनुमान 1980-81	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
सचिवालय-प्रकाशन आदि पर खर्च सहित	6.00	183.44	4.75	179.39	5.40	189.04

अध्याय IV

क. स्कूली शिक्षा

I. केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा के समान कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हुए प्रतिरक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।

2. वर्ष 1979-80 में चल रहे विद्यालयों की कुल संख्या 291 थी । इस संख्या में 47 ऐसे विद्यालय भी शामिल हैं जो विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रायोजित हैं तथा उन्हीं के द्वारा उनके लिए धन की व्यवस्था भी की जाती है । वर्ष 1979-80 के अन्त तक लगभग 2.38 लाख छात्रों तथा 1980-81 के लिए 2.63 लाख छात्रों के कुल दाखिले का अनुमान है । वर्ष 1979-80 के दौरान, 26 केन्द्रीय विद्यालय खोले गये थे । (प्रतिरक्षा सेक्टर में 11, सिविल सेक्टर में 5 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10) ।

3. विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विद्यालयों में दाखिले की सतत रूप से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान 12 रक्षा सेक्टर सहित 20 नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए बजट व्यवस्था की गयी है नये केन्द्रीय विद्यालय भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में भी खोले जायेंगे बशर्ते कि वे इस प्रकार के विद्यालयों पर (प्रशासनिक अतिरिक्त प्रभारों सहित) सारा आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च बहन करें ।

प्रत्येक वर्ष में चल रहे स्कूलों की संख्या तथा नियुक्त अध्यापकों की संख्या आदि नीचे दी गयी हैं :—

	1976	1977	1978	1979
1. स्कूल	222	242	265	291
2. छात्र	1,67,176	1,83,000	2,03,270	2,23,814
3. अध्यापक	7,467	8,065	9,587	10,173
4. अध्यापक छात्र का अनुपात	1:22.3	1:22.69	1:21.2	1:22
5. निम्नलिखित परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या :—				
(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा	5,845	7,977	—	—
(ख) माध्यमिक स्कूल परीक्षा	—	8,370	9,896	10,340
(ग) सीनियर माध्यमिक स्कूल परीक्षा (10+2)	—	—	—	3,819
6. निम्नलिखित परीक्षाओं में (उत्तीर्ण प्रतिशतता सहित) उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या :—				
(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा	5,563 (95.17%)	6,796 (85.2%)	—	—
(ख) माध्यमिक स्कूल परीक्षा	—	7,339 (92.03%)	9,073 (91.67%)	10,295 (99.56%)
(ग) सीनियर माध्यमिक परीक्षा (10+2)	—	—	—	3,779 (98.95%)

ऊपर अध्यापकों तथा छात्रों की संख्या से सम्बन्धित दर्शायी गयी सूचना प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त की स्थिति के अनुसार है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
1890..00	1890.00	2080.00

II. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों तथा प्रमुख कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता तथा परामर्श देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया गया था। स्थापित होते ही इसने समय-समय पर नयी चुनौतियों का सामना करने में सक्रिय भूमिका निभायी है तथा परिवर्तनशील राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसने अपने आप में विस्तार तथा परिवर्तन किया है।

परिषद् के महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

शिक्षा में अनुसंधान

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने, स्कूली शिक्षा को शामिल करते हुए विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के भीतर तथा बाहर बुनियादी अनुसंधान और नवपरिवर्तन की योजना बनाने, उनकी पहचान करने, उन्हें आयोजित तथा सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1974 में एक शैक्षिक अनुसंधान तथा नवपरिवर्तन समिति गठित की थी। वर्ष 1979-80 के दौरान 71 नयी परियोजनाएं आरम्भ की गयीं थीं, जिनमें से अधिकांश योजनाएं 1980-81 में चलती रहेंगी। इनके सतत रूप से चलने वाली परियोजनाओं के अलावा यह आशा है कि इतनी ही संख्या की नयी परियोजनाएं 1980-81 के दौरान आरम्भ की जायेंगी।

प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना तथा 6-14 वर्ष की आयुवर्ग के स्कूल न जाने वाले तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा पद्धति में लाने के लिए उपयुक्त तरीकों का विकास करना है।

वर्ष 1979-80 के दौरान 181 गैर-औपचारिक केन्द्र काम कर रहे थे और 1980-81 में इन केन्द्रों की संख्या बढ़कर 200 होने की संभावना है। इस योजना को लागू करने के वास्ते शैक्षिक सामग्री का हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, बंगला, तेलुगु तथा असमी जैसी विभिन्न भाषाओं में विकास किया गया है। वर्ष 1979-80 के दौरान, प्राइमर, टीचर गाईड, तथा पुस्तिकाओं की वर्ग की 16 पुस्तकें तैयार की गयी थीं। वर्ष 1980-81 के दौरान, 22 और पुस्तकें तैयार करने का प्रस्ताव है।

औपचारिक शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में भी वर्ष 1979-80 के दौरान शिक्षा के लिए समेकित दृष्टिकोण, एकल-अध्यापक स्कूलों में बहुकक्षा अध्यापन, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य को लागू वाले कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है। ये कार्यक्रम 1980-81 में भी चलते रहेंगे।

राष्ट्रीय एकता परियोजना

राष्ट्रीय एकता परियोजना के अंतर्गत, अध्यापकों तथा छात्रों के लिए शिविर आयोजित किये गये थे जहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र, सहिष्णुता, और आपसी सूझबूझ के महत्वों को पनपने के अलावा, वास्तविक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और अन्तर-राष्ट्रीय सूझबूझ का कैसे मार्गदर्शन किया जाए। विभिन्न राज्य-सरकारों के सक्रिय सहयोग और सहायता से ये शिविर आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 1979-80 में देश के विभिन्न भागों में 6 शिविर लगाये गये थे जिनमें 250 छात्रों तथा 201 अध्यापकों ने भाग लिया। वर्ष 1980-81 में 16 शिविर लगाये जायेंगे जिनमें 750 छात्रों तथा इतनी ही संख्या में अध्यापकों के भाग लेने की संभावना है।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

देश में अनेक राज्यों ने 10+2 पद्धति आरम्भ कर दी है तथा शिक्षा का व्यावसायीकरण विचाराधीन शैक्षिक सुधारों का एक अनिवार्य अंग बन गया है। वर्ष 1979-80 में उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों तथा वरिष्ठ अध्यापकों और मुख्य कार्मिकों के लिए कर्नाटक, गुजरात तथा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विभिन्न व्यावसायिक विषयों में 7 कार्यक्रम चलाये गये थे। वर्ष 1979-80 में 430 व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया वर्ष 1980-81 में, इस प्रकार के 9 कार्यक्रमों को आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है, जिनमें विभिन्न राज्यों के 550 व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा।

विज्ञान किटों का निर्माण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित विभाग के पर्यवेक्षण में उन विज्ञान किटों का विकास किया जा रहा है,जो नयी विज्ञान पाठ्यचर्या के अनुरूप हैं। वर्ष 1979-80. में, "न कोई लाभ न कोई हानि" के आधार पर विभिन्न राज्यों को भेजने के लिए 3000 प्राथमिक विज्ञान किटें एकत्र किए गए थे। वर्ष 1980-81 के दौरान, लगभग 6000 किट भेजने का प्रस्ताव है। यह अनुमान अब तक प्राप्त आदेशों की संख्या पर आधारित है।

इसके अलावा, पाठ्यचर्या की अन्य आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर ली गयी है तथा वर्ष 1979-80 में कुछ सरल तथा कम-कीमत वाले इलैक्ट्रोनिक सर्किटों आदि का विकास भी कर लिया गया है।

परिषद, प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित भी करती है। इसके अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में विभिन्न व्यवसायों में 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 1980-81 में इतनी ही संख्या के व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का संचालन

देश में नौजवान प्रतिभा का पता लगाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अंतर्गत परिषद द्वारा देश भर में आयोजित एक प्रतियोगिता परीक्षा तथा उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर वार्षिक तौर पर 500 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

सर्वेक्षण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामयिक सर्वेक्षण आयोजित किये जाते हैं जो योजनाओं को तैयार करने में सहायक आंकड़े के रूप में काम करते हैं। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि रा०शि०अनु० तथा प्रशिक्ष० परि० वर्ष 1978-79 में 4 शैक्षिक सर्वेक्षण आयोजित करें; इन्हें 1979-80 में भी जारी रखा गया था। अब यह सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है। और अब तो इन आंकड़ों के विश्लेषण का मात्र अवशेष कार्य रह गया है।

अध्यापक प्रशिक्षण का आयोजना

सेवारत प्रशिक्षण की लागत को कम-से-कम करने तथा इसे और अधिक कारगर तथा सतत बनाने के लिए परिषद ने 1978-79 में एक योजना आरम्भ की थी; जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में अध्यापकों के लिए सतत शिक्षा के केन्द्रों को खोलना-चलाना था। वर्ष 1979-80 में इस प्रकार के 63 केन्द्रों ने काम करना आरम्भ कर दिया था। वर्ष 1980-81 में इसी प्रकार के 97 केन्द्रों के कार्यात्मक बनने की आशा है।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज

स्कूली अध्यापकों में कारगर गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से परिषद 4 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज चलाती है। ये कालेज अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में स्थित हैं। ये चारों कालेज अपने-अपने क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षा की देखभाल के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कालेज के साथ एक प्रदर्शन बहुउद्देश्यीय स्कूल संलग्न होता है, जो कि वास्तव में इन प्रादेशिक कालेजों की शैक्षिक प्रयोगशाला होती है।

इन क्षेत्रीय कालेजों में 4 वर्षीय बी०एस०सी०बी०एड०, एक वर्षीय बी०एड, 2 वर्षीय एम०एस०सी० तथा एम०एड० पाठ्यक्रमों आदि के पढ़ाने की व्यवस्था है। वर्ष 1979-80 के दौरान, दाखिल छात्रों की संख्या 2907 थी, जबकि वर्ष 1980-81 के लिए दाखिले का लक्ष्य 2175 है।

ये क्षेत्रीय कालेज पूर्ण-सेवा तथा सेवारत दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन क्षेत्रीय कालेजों ने राज्य सरकारों के सहयोग से बहुत बड़ी संख्या में विस्तार कार्यक्रम भी आयोजित किया है।

प्रकाशन कार्यक्रम

वर्ष 1979-80 के दौरान परिषद ने 140 स्कूली पाठ्य-पुस्तकें तथा 34 पत्रिकायें प्रकाशित की। परिषद का वर्ष 1980-81 में 240 पुस्तकें प्रकाशित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 180 स्कूली पाठ्य पुस्तकें और 60 पत्रिकायें होंगी।

यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1979-80 में इसके कारण आय के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि 175 लाख रुपये होगी और वर्ष 1980-81 में यह राशि 225 लाख रुपये होगी।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

इस योजना का उद्देश्य अध्यापकों को कम करके शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना तथा साथ ही विस्तार की दर में तीव्रता लाना है। इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं:—

(i) पद्धति निर्माण, (ii) प्रोटोटाइप शैक्षिक चलचित्र का निर्माण, टेपों और चार्टों आदि का विकास (iii) प्रशिक्षण (iv) मूल्यांकन, और (V) विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप कम लागत वाले अध्यापन सहायक साधनों का निर्माण करना।

आकाशवाणी, जयपुर की सहायता से राजस्थान में प्राथमिक स्कूली बच्चों को पहली भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाने की एक रेडियो प्रायोगिक परियोजना जुलाई, 1979 में आरम्भ की गयी थी और इसे 1980-81 में जारी रखा जायेगा।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रु०)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
125.00	394.09	125.00	411.41	140.00	444.25

III. पब्लिक आवासीय तथा केन्द्रीय स्कूलों में जूनियर डिवीजन रा० के० कोर के ट्रूप ।

पब्लिक आवासीय तथा केन्द्रीय स्कूलों में जूनियर डिवीजन रा० के० कोर के ट्रूपों के रखरखाव पर होने वाला खर्च शिक्षा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के बीच 40:60 के आधार पर वहन किया जाता है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
3.50	3.50	3.50

IV. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नयी दिल्ली

तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1961 में केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना की गयी थी । इस समय प्रशासन पहाड़ी क्षेत्रों में 4 आवासीय स्कूल चला रहा है और विभिन्न तिब्बती पुनर्वास कालोनियों में 16 दिवा-स्कूल चला रहा है । इसके अलावा, यह तिब्बती बच्चों की शिक्षा के लिए सात स्कूलों को सहायक-अनुदान भी देता है ।

तिब्बती स्कूलों में बच्चे शरणार्थियों के निर्धन परिवारों से आते हैं और उन्हें सभी स्कूलों में पुस्तकें तथा लेखन सामग्री मुफ्त प्रदान की जा रही है । लाभ प्राप्त करने वालों की कुल संख्या लगभग 9000 है ।

चार आवासीय स्कूलों के छात्रावासों में रहने वालों की संख्या 1646 है । इनमें से 367 शरणार्थी बच्चों के लिए मुफ्त रिहायशी स्थान तथा खानपान की व्यवस्था की जा रही है ।

दिवा स्कूलों में तथा आवासीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले दिवा आध्येताओं को भी लगभग 7300 बच्चों को प्रत्येक स्कूल दिवस के लिए 35 पैसे प्रति छात्र की दर से मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है ।

प्रशासन उन छात्रों को भी कुछ छात्रवृत्तियां दे रहा है जिन्होंने मान्यताप्राप्त संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा के लिए प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास कर ली है । ये छात्रवृत्तियां पाठ्यक्रमों के पूरा होने तक दी जाती रहेंगी ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
88.25	82.85	91.60

V. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल, 1979 से स्थगित कर दिया गया है और इसे राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
125.00	20.00	—

VI. शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

शैक्षिक प्रौद्योगिकी परियोजना में, जिसे वर्ष 1972-73 में आरम्भ किया गया था, शिक्षा के सभी स्तरों पर जन संचार साधनों और अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी के समेकित उपयोग को प्रेरणा देने तथा उसे प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है ।

राज्यों को, शैक्षिक प्रौद्योगिक सेलों की स्थापना और रख-रखाव के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । इस सहायता में, संस्वीकृत कर्मचारियों, उपकरण तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेलों द्वारा आरम्भ किये गये कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च शामिल होता है । केन्द्रीय सहायता, 5 वर्ष तक अथवा छठी योजना के अन्त तक जो भी पहले हो, उपलब्ध होगी ।

असम तथा पश्चिम बंगाल में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों की स्थापना से, देश में इस प्रकार के सेलों की संख्या अब 20 हो गई है । इन सेलों से राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के विकास में तेजी लाने तथा इसे प्रोत्साहित करने में मदद मिलने की आशा है ।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रमुख रूप से आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों (जहां कहीं भी उपलब्ध) की सहायता से रेडियो प्रसारणों तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों का और अधिक उपयोग करने के कार्य में लगे हैं । आन्ध्र प्रदेश, प्रसारणों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए अध्यापकों को वार्ता लेखन तथा प्रश्नावलियों का विकास करने में प्रशिक्षित

कर रहा है। उड़ीसा ने स्कूलों से अपने कोष में से रेडियो सेट खरीदने का आग्रह किया है। गुजरात में, वल्लभ नगर स्थित एच० एम० पटेल अंग्रेजी संस्थान के सहयोग से शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल, रेडियो प्रसारणों के जरिए तथा अध्यापकों के लिए सहायक सामग्री के माध्यम से अंग्रेजी अध्यापन का काम जारी रख रहा है। राजस्थान, स्कूलों में रेडियो द्वारा अंग्रेजी अध्यापन में अपनी व्यवहार्य परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र की सहायता कर रहा है। अन्य क्षेत्रों से बिहार स्थित शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल ने मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल द्वारा आयोजित दो प्रशिक्षण शिविरों के आधार पर "साईट" नामक कार्यक्रम के दौरान अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किए गए बहु माध्यम पैकेज के मूल्यांकन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है। कर्नाटक ने टुंकुर तथा कोलार जिलों में प्राथमिक स्कूली अध्यापकों के लिए एक प्रायोगिक पत्राचार-एवं-सम्पर्क पाठ्यक्रम आरम्भ किया है। मेघालय तथा तमिलनाडु ने, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की भूमिका के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जिला स्तर के सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजित किये हैं। उड़ीसा ने प्रयोग के आधार पर रेखीय सामग्री तैयार करने के लिए एक रेशमी स्क्रीन मुद्रण एकक की स्थापना की है। इसने, प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में दाखिले तथा उपस्थिति और भाषा विकास पर "साईट" नामक कार्यक्रम के प्रभाव का भी अध्ययन आरम्भ किया हैं। महाराष्ट्र शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल ने, इलैक्ट्रोनिक्स, कठपुतली, रेखाचित्र तथा फोटोग्राफी में, शिक्षा में, इन साधनों का प्रयोग करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है। पश्चिम बंगाल में, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल, स्कूली बच्चों के लिए विशेषज्ञ समितियों के परामर्श से रेडियो पाठ तैयार कर रहा है। राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को 4,000 रेडियो सेट पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार के सहयोग से अब सात शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल (महाराष्ट्र, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में) कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
85.00	50.00	75.00

VII. बाल भवन सोसायटी, भारत

बाल भवन एक स्वायत्त निकाय है तथा मंत्रालय से सहायक-अनुदान प्राप्त करता है। यह एक शैक्षिक तथा मनोरंजन संस्था हैं, जो 5 से 16 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, कला, विज्ञान, नाटक, संगीत, और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यकलापों के माध्यम से एक समेकित व्यक्तित्व, आत्म निर्भरता की भावना और अभिव्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करती है। यह अभिभावकों और अध्यापकों के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करती है।

इस समय बाल भवन कार्यकलापों के लिए 5600 बच्चों के नाम दर्ज हैं। वर्ष 1979-80 के दौरान, सोसायटी ने फोटोग्राफी में आठ अध्यापकों के लिए एक कार्यशाला, रचनात्मक कलाओं में 478 अध्यापकों के लिए 24 कार्यशाला और एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। सोसायटी ने, अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, दो सप्ताहान्त शिविर, एक अखिल भारतीय शिविर, तथा राष्ट्रीय सभा तथा एक थियेटर समारोह का भी आयोजन किया। "शान्ति पताका" के अन्तर्गत एक 17 सदस्यीय बाल प्रतिनिधि मण्डल ने सोफिया, बल्गारिया में अन्तर्राष्ट्रीक बाल सभा में भाग लिया।

वर्ष 1980-81 के दौरान चार नये बाल केन्द्र खोलने तथा अन्य कार्यकलापों को जारी रखने का प्रस्ताव है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
2.15	15.35	2.15	15.65	2.65	17.65

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

भारत, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का एक संस्थापक सदस्य है। यूनेस्को के संविधान के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत ने यूनेस्को से सम्बन्धित सभी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए, भारत के लोगों के बीच यूनेस्को के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों की जानकारी को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
0.50	0.25	0.50

यह बजट व्यवस्था मुख्यतः यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के प्रलेखन-एवं-वितरण एकक तथा पुस्तकालय

के रख-रखाव, इसकी बैठकों, इसके चार उप-आयोगों, संचालन समिति तथा आयोग द्वारा गठित अन्य तदर्थ समितियों की बैठकों के आयोजन, अन्य राष्ट्रीय आयोगों के साथ सम्बन्धों तथा यूनेस्को सचिवालय आदि के लिए हैं।

(ii) यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना

यूनेस्को ने ऐसे अन्तर-राष्ट्रीय कूपन तैयार किए हैं, जो कि शिक्षा, विज्ञान, तथा संस्कृति क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों तथा संस्थानों को बिक्री के लिए एक वितरण एजेंसी के रूप में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को सामान के आधार पर उपलब्ध किए गए हैं ताकि वे आयात नियंत्रण बाधाओं अथवा विदेशी विनिमय औपचारिकताओं के बिना अन्य देशों से वैज्ञानिक सामग्री प्राप्त कर सकें। यह योजना सन् 1948 से चल रही है।

यूनेस्को, इस योजना को चलाने के लिए यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को यूनेस्को संविदा शुल्क देती है। वर्ष 1979 के दौरान यूनेस्को से 2,000 संयुक्त राज्य अमरीकी डालरों के बराबर संविदा शुल्क प्राप्त हुआ था, और वर्ष 1980 के लिए भी इतनी ही धनराशि के प्राप्त होने की आशा है। अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 के दौरान 1,13,247.24 डालरों के बराबर कूपन बेचे गए।

(iii) यूनेस्को क्लब

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को तथा विश्व संगठनों की अन्य विशिष्ट एजेंसियों के उद्देश्यों और नीतियों से संबंधित सूचना का प्रचार करने के अलावा, देश में यूनेस्को क्लब अभियान को प्रोत्साहित कर रहा है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में क्रियाकलापों को विकसित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ को बढ़ावा देने, विश्व-शांति में सहयोग करने, उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानव अधिकार दिवस यूनेस्को सप्ताह आदि को मनाने, यूनेस्को प्रकाशन की प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों, सेमिनारों, व्याख्यान कार्यक्रमों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को कार्यशालाएं आदि के आयोजन अथवा उनमें भाग लेने को प्रोत्साहित करना इन क्लबों का एक प्रमुख काम है।

(iv) प्रकाशन

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, एक त्रैमासिक पत्रिका 'न्यूजलैटर' प्रकाशित करता है जिसमें यूनेस्को तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित सभी सामग्री होती है।

अपने सहयोगी कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनेस्को ने इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए 3,500 डालर की आर्थिक सहायता मंजूर की है। इस पत्रिका पर होने वाला सारा खर्च यूनेस्को की आर्थिक सहायता से वहन किया जाता है।

(v) विश्व-साहित्य के प्रतिनिधित्व कार्य क्रममाला का यूनेस्को संग्रह-भारतीय क्रममाला

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए राष्ट्रीय भारतीय आयोग, वर्ष 1954 से विश्व-साहित्य के प्रतिनिधित्व लेखन कार्य क्रममाला के अनुवाद से संबंधित यूनेस्को परियोजना में भाग लेता रहा है। आयोग, प्रत्येक वर्ष यूनेस्को को 15,000 रुपये की राशि का अंशदान देता है। यूनेस्को ने अब तक भारतीय भाषाओं की 75 पुस्तकों का अनुवाद तथा प्रकाशन किया है। इनमें से 21 शीर्षक फ्रेंच भाषा में, 47 अंग्रेजी में तथा 7 जर्मन भाषा में प्रकाशित किए गए हैं।

(vi) यूनेस्को कूरियर के हिंदी तथा तमिल संस्करणों के प्रकाशन हेतु यूनेस्को के सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का खर्च

विगत की तरह यूनेस्को की "कूरियर" नामक मासिक पत्रिका, जिसे विश्वभर में 16 भाषाओं में छापा जाता है, के हिंदी तथा तमिल संस्करण भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।

वर्ष 1979 में यूनेस्को ने यूनेस्को कूरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन के लिए 22,000 डालर की आर्थिक सहायता दी जिसे प्राप्तियों के रूप में भारत सरकार के खाते में डाल दिया गया है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
5.75	5.75	595

(vii) यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों के वास्ते गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
0.30	0.30	0.30

यह बजट व्यवस्था, आई०सी०ओ०एम० एजेंसी, के कार्यालय परिसर का किराया वहन करने, यूनेस्को क्लबों तथा उन अन्य गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देने के लिए भारत के अंशदान के रूप में है, जिनका उद्देश्य यूनेस्को के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्यक्रम शुरू करना है।

(viii) इसके अतिरिक्त, यूनस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित कार्यकलाप भी करता है :—

1. यूनेस्को के अधीन भारतीय राष्ट्रिकों को भेजना;

2. यूनेस्को के तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए फैलो का चयन करना; और

3. भारत का दौरा करने वाले यूनेस्को विशेषज्ञों के लिए कार्यक्रमों का प्रबंध करना तथा यूनेस्को फैलो प्राप्त करने वालों को प्रशिक्षण के लिए तैनात करना।

(ix) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, केन्द्र तथा राज्यों के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्नुस्थापन की व्यवस्था करता है, शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में राज्यों और अन्य संगठनों को परामर्शी तथा विस्तार सेवाएं उपलब्ध करता है, गोष्ठियां, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करता है तथा शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में विचारों और संरचना के लिए एक निकासी केन्द्र के रूप में काम करता है। वर्ष 1979-80 के दौरान संस्थान ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के 18 कार्यक्रम, 17 सेमिनार तथा सम्मेलन, और दो अनुसंधान अध्ययन आयोजित किए। वर्ष 1980-81 में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों, अनुसंधान परियोजनाओं शिक्षावृत्तियों के 42 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने की परिकल्पना है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
10.00	15.33	11.80	15.63	14.80	17.00

(x) सशस्त्र सेना के मारे गए अथवा अपंग हुए अधिकारियों और जवानों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें

केन्द्रीय सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 व 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान प्रतिरक्षा कार्मिकों और सह सेना बलों के मारे गए अथवा स्थायी रूप से अपंग हुए व्यक्तियों के बच्चो को शैक्षिक रियायतें प्रदान कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ये रियायतें इसके अधीन चल रही संस्थाओं में अध्ययन कर रहे पात्र बच्चों और कुछ मामलों में पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को भी प्रदान की जाती है।

उन राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भी केन्द्रीय सरकार द्वारा रियायतें दी जाती हैं, जिन्होंने इस प्रकार की रियायतों की घोषणा नहीं की है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
1.00	1.00	1.00

(xi) नार्वे से सामान-सहायता भारत का आर्थिक तथा सामाजिक विकास नार्वे-कागज की आपूर्ति

इस योजना के अंतर्गत, नार्वे की शाही सरकार से छपाई का कागज वर्षानुवर्ष (केलेण्डर वर्ष) के आधार पर सामान सहायता के रूप में आयात किया जा रहा है। इस कागज का उपयोग राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्कूल स्तर की पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने और प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

वर्ष 1978 के लिए नार्वे से सामान सहायता के अंतर्गत प्राप्त लगभग 50 लाख नार्वेयाई क्रोनर्स के मूल्य के 1465 टन छपाई कागज को पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को आवंटित किया गया था।

वर्ष 1979 के लिए एक करोड़ नार्वेयाई क्रोनर्स मूल्य के कागज का आवंटन किया गया है। नार्वे से इस सहायता के रूप में कागज की आपूर्ति मई, 1980 तक पूरी हो जाने की आशा है। इस कागज का उपयोग रा०शै०अनु० तथा प्रशि० परि० तथा मंत्रालय के प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
354.06	310.00	356.06

(xii) अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

अध्यापकों का सम्मान बढ़ाने तथा उत्कृष्ट अध्यापकों की सराहनीय सेवाओं को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना वर्ष 1958-59 में आरम्भ की गई थी।

प्राथमिक, मिडिल, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, संस्कृत पाठशालाओं तथा अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों को वर्ष 1978 के लिए 107 राष्ट्रीय पुरस्कार मई 1979 में प्रदान किए गए थे ।

वर्ष 1979 के लिए ऐसे 116 पुरस्कार प्रदान करने का का प्रस्ताव है। पुरस्कार राशि को पुरस्कार वर्ष 1979 से 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है जिसके कारण 1980-81 के बजट प्राक्कलन में बढ़ोतरी आवश्यक हो गई है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
2.00	2.00	2.60

XIII. स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

अभी कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी थी । इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों का अधिकतम व राष्ट्रव्यापी आधार पर लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से इस काम को अब शिक्षा मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है ।

वर्ष 1979-80 के दौरान, व्यावसायीकरण तथा पालिटेक्निक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चेकोस्लोवाकिया भेजा गया था । माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण और शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए जर्मन जनवादी गणतंत्र से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल भारत आया तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए बेल्जियम से एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल भारत आया ।

वर्ष 1980-81 के दौरान, सोवियत रूस, ईराक, हंगरी तथा उत्तरी कोरिया से 4 प्रतिनिधिमण्डलों के आदान-प्रदान की आशा है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनेतर
1.50	1.00	1.00

(xiv) 9—14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर सरकारी औपचारिक शिक्षा का प्रयोगात्मक कार्यक्रम—प्रारंभिक शिक्षा को बनाना

शैक्षिक रूप से 9 पिछड़े राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए 9—14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के प्रयोगात्मक कार्यक्रमों की एक योजना मंत्रालय द्वारा वर्ष 1979-80 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आरंभ की गयी :—

(i) 9—14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास करने और उन्हें कार्यान्वित करने में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों की सहायता करना, ताकि वे बहुत बड़ी संख्या के दाखिल न हुए तथा अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को स्कूल पद्धति के अंतर्गत ला सकें ।

(ii) संस्थागत संरचनाओं का विकास करने में उनकी सहायता करना ।

(iii) शिक्षा को और अधिक सार्थक तथा जीवन की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए एक वर्ग विशिष्ट तथा स्थानीय विशिष्ट पाठ्यचर्या का विकास करने में उनकी सहायता करना ।

(iv) अध्यापक क्षमता में सुधार करने के लिए उनकी सहायता करना ।

सहायता के लिए अपनाई गई पद्धति के अनुसार इस योजना के केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 की भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाना है । प्रशासनिक तथा शैक्षिक निवेशों में संबंधित खर्च की व्यवस्था यद्यपि शत-प्रतिशत आधार पर की जानी है तथापि, प्राथमिक तथा मिडिल दोनों स्तरों पर गैर-औपचारिक केन्द्रों को चलाने का खर्च केन्द्र और राज्यों के बीच 3 : 5 के आधार पर वहन किया जाएगा ताकि खर्च 50 : 50 के भागीदारी आधार के अनुसार हो । प्रत्येक तीन केन्द्रों के लिए धन की व्यवस्था केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत की जाएगी जबकि राज्य अपने संसाधनों से 5 केन्द्र स्थापित करेगा और उन्हें चलाएगा ।

वर्ष 1979-80 के दौरान जम्मू व काश्मीर के अलावा, आठ राज्यों को ऐसे प्रस्तावों के लिए (लगभग) 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिनमें 9—14 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 6,84,500 बच्चों को सम्मिलित करते हुए 20,220 प्राथमिक तथा 7160 मिडिल स्तर के केन्द्रों को स्थापित करने और उन्हें चलाना शामिल था । बच्चों की इस संख्या में वृद्धि करने की दृष्टि से वर्ष 1980-81 के

लिए 5.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 1979-80 के संशोधित प्राक्कलनों में जो कमी की गई है, वह खर्च को राज्य सरकारों के साथ 50 : 50 के आधार पर बांटने के संबंध में लिए गए निर्णय के कारण है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
700.00	320.00	550.00

(ख) विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

(I.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालयों के स्तरों के निर्धारण और उन्हें समन्वित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के अधीन की गई थी। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आयोग को अधिनियम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि वह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं को उनके विकास तथा रख-रखाव के लिए और किसी अन्य सामान्य अथवा विशिष्ट प्रयोजन के लिए तथा अन्य विश्वविद्यालयों को उनके विकास अथवा रख-रखाव के लिए अथवा दोनों ही प्रयोजनों के लिए अथवा ऐसे विश्वविद्यालयों को किन्हीं विशिष्ट कार्यकलापों के लिए अनुदान आवंटित और उनका वितरण करे।

सभी विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान सहायता की पद्धति अथवा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अनुदान की शर्तों के अनुसार दिए जाते हैं। विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं का, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त निरीक्षण समितियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जो विकास अनुदान शत-प्रतिशत के आधार पर दिए जाते हैं उनमें मेडिकल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पतालों और परिसर विकास आदि के लिए अनुदान भी शामिल होते हैं।

आयोग इस समय 7 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली 10 संस्थाओं, 72 राज्य विश्वविद्यालयों तथा उन लगभग 3500 सम्बद्ध कालेजों को सहायता दे रहा है, जो अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के हकदार हैं।

आयोग द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित विकास कार्यक्रम वर्ष 1979-80 के दौरान जारी रखे गए :--

(1) विश्वविद्यालयीय शिक्षा का विकास--इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, कृषि तथा चिकित्सा के अलावा सभी संकायों के विश्वविद्यालयों कार्यक्रम।

(2) कालेजों का विकास

(3) कोटि/विशेष कार्यक्रम और अनुसं। सहायता।

(4) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मेडिकल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पतालों का विकास।

(5) बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान तथा धनबाद स्थित भारतीय खनन स्कूल के विकास कार्यक्रम सहित प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी के विकास कार्यक्रम।

उक्त कार्यक्रमों में अध्यापन तथा तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति, वैज्ञानिक उपकरणों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद, शैक्षिक भवनों सामान्य भवनों, उदाहरणार्थ स्टाफ क्वार्टरों, कर्मशाला सुविधाओं तथा छात्र कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था, उच्च अध्ययन केन्द्रों, विशेष सहायता के विभाग, संकाय सुधार कार्यक्रम, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन, परीक्षा सुधारों, कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम, कालेज मानविकी सुधार कार्यक्रम तथा अन्य अनुमोदित योजनाएं जैसे कोटि/विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था शामिल है।

वर्ष 1979-80 के दौरान पिछली योजनाओं के रुके हुऐ प्रतिबद्ध मदों पर तथा वर्ष के दौरान अनुमोदित कुछ अनुसंधान परियोजनाओं पर ही मुख्य रूप से खर्च किया गया था।

वर्ष 1980-81 के दौरान, आयोग, विश्वविद्यालयों और कालेजों तथा अन्य विशेष कार्यक्रमों के विकास के क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों को जारी रखेगा। विश्वविद्यालयों के 75% भवन, जिनके लिए आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं तथा इनके वर्ष 1980-81 में पूरा हो जाने की संभावना है। विश्वविद्यालयों के विभागों को पुस्तकें और पत्रिकाओं तथा कुछ ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद के लिए जिनकी वर्ष 1980-81 में तत्काल जरूरत है, कुछ बुनियादी अनुदान देने का प्रस्ताव है। आयोग अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सतत आधार पर सहायता प्रदान करेगा तथा नई परियोजनाएं विषय पैनलों की सिफारिशों पर ही स्वीकार की जाएंगी, ताकि वास्तविक लक्ष्यों के विद्यमान स्तर को बनाए रखा जा सके।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
2800.00	4916.00	2800.00	5137.00	3150.00	5545.00

(II.) विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1 जनवरी, 1973 से विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के लिए एक योजना मंजूर की थी ।

इस योजना को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में वि० अ० आ० और राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कालेजों के बारे में राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था ।

इन संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को 1-1-1973 से 31-3-1979 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त खर्चे की 80 तक केन्द्रीय सहायता दी गई थी । राज्य सरकारों को भी यह छूट दी गई थी कि वे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि चाहें तो केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई सिफारिशों से भिन्न वेतन-मान लागू कर सकती हैं और 1-1-1973 की अपेक्षा बाद की किसी तारीख से उन्हें अमल में भी ला सकती हैं ।

असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के संशोधित वेतनमानों को लागू कर दिया है । इन सभी राज्य सरकारों को स्वीकृत पद्धति के अनुसार केन्द्रीय सहायता मंजूर की जा रही है । जम्मू और काश्मीर तथा कर्नाटक सरकारों ने केवल विश्वविद्यालयों अध्यापकों के लिए ही संशोधित वेतनमानों की स्वीकृति दी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वि० अ० आ० के वेतनमानों को लागू करने की स्वीकृति दी है । इन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता का उनके प्रस्तावों को अंतिम रूप से स्वीकृत किए जाने के बाद ही भुगतान किया जाएगा । केरल सरकार द्वारा रखा गया प्रस्ताव केन्द्रीय योजना के अनुरूप नहीं था, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया था ।

क्योंकि वह अंतिम तारीख जिस तक केन्द्रीय सहायता का राज्य सरकारों को भुगतान किया जा सकता था, 31 मार्च, 1979 को पहले ही समाप्त हो चुकी है, अतः इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की आगे स्वीकृति की कोई जिम्मेदारी नहीं है । तथापि, बहुत से राज्यों के संबंध में केन्द्रीय की सहायता भुगतान धनराशि का अंतिम निर्णय होने तक तदर्थ आधार पर दी गयी । कुछ राज्यों के मामले में प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । 1979-80 और 1980-81 के दौरान इस योजना के लिए किए गए बजट प्रावधानों को केवल अवशिष्ट दावों के आधार पर पूरा किया जाना है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
1000.00	1000.00	700.00

(III.) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् का मुख्य उद्देश्य समाज विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और उसके उपयोग को सुगम बनाना है । अनुसंधान की प्रतिभा की जानकारी देकर और उसके विकास के कार्यों से इसे प्राप्त किया जा सकता है । यह कार्य अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान करके, अनुसंधान परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए सहायता की व्यवस्था करके और सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संगठनों के विकास को बढ़ावा देकर किया जा सकता है । इसके लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है जिसमें प्रलेखन केन्द्र और आंकड़े अभिलेखागार शामिल हैं । दिल्ली में प्रलेखन केन्द्र भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत अप्रकाशित शोध ग्रन्थों को प्राप्त करता है, परिषद के प्रकाशनों का दूसरों के साथ आदान-प्रदान करता है, ग्रन्थ-सूचियों का संकलन और अनुरक्षण करता है और समाज विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकों और पत्रिकाओं का सूचकांक तैयार करता है और पुरालेख संबंधी सेवाओं की भी व्यवस्था करता है । अंतर पुस्तकालय साधन केन्द्र के माध्यम से यह दो विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों और दिल्ली में अनुसंधान संस्थान के साथ सम्बद्ध है । आंकड़ा अभिलेखागार को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है । इस समय यह सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए उत्तम सेवाओं की व्यवस्था करने की स्थिति में है । आंकड़ा अभिलेखागार द्वारा पूरा किया गया एक महत्व-पूर्ण कार्य भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों की एक निर्देशिका का संकलन है । इस निर्देशिका की 1980-81 में प्रकाशित होने की आशा है ।

देश के अधिकांश भाग को शामिल करने के लिए परिषद ने छः क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भी सहायता दी जा रही है ।

वर्ष 1979-80 के दौरान किए गए कार्यों और वे कार्य जिनको 1980-81 में करने की व्यवस्था की गई है, उनके संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

कार्य	1979-80		1980-81
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
1	2	3	4
1. शिक्षावृत्तियां .	240	240	250
2. अध्ययन-अनुदान .	—	200	400

1	2	3	4
3. अनुसंधान परियोजनाएं			
(क) मंजूर . .	150	150	150
(ख) पहले से मंजूर परियोजनाओं के बारे में प्राप्त रिपोर्ट .	—	70	—
4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम- अनुसंधान विधि			
(क) पाठ्यक्रमों की संख्या	10	6	10
(ख) प्रशिक्षणार्थी .	—	140	280
5. सम्मेलन/सेमिनार .	10	10	12
6. प्रकाशन-अनुदान .	30	30	*
7. सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यवसायिक संगठनों को अनुदान . .	18	*	*
8. सामाजिक वैज्ञानिकों को सहायक अनुदान			
(क) विदेशों में भारतीय पर्यटन . .	50	42	50
(ख) भारत में विदेशियों का आना . .	30	30	30
9. प्रकाशन . .	70	56	55
10. राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान संस्थानों को सहायता .	17	17	18

*नीति में संशोधन हो रहा है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
50.00	110.00	500.00	110.00	50.00	115.00

IV. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद

भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद की 1962 में स्थापना की गई थी । इसके निम्नलिखित कार्य हैं : (i) प्रबंधकीय कारोबार के लिए युवा पुरुष तथा महिलाओं को प्रशिक्षण देने और अभ्यास कर रहे प्रबंधकों के विकास के लिए शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करना; (ii) प्रबंधकीय क्षेत्र में अनुसंधान करना और ज्ञान के विकास और उसका उपयोग करने में योगदान देना; और (iii) प्रबंध के व्यवहार में अध्यापकों और अनुसंधानकर्ताओं के विकास की व्यवस्था करना।

वर्ष के दौरान संस्थान ने प्रबंधकीय फेलो कार्यक्रम में 10 छात्रों और उत्तर स्नातक कार्यक्रम में 183 छात्रों को दाखिल किया ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
30.00	82.01	30.00	82.75	31.00	86.48

V. भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर

इस संस्थान की कर्नाटक सरकार के सहयोग से 1972-73 में स्थापना की गई थी । इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और प्रबंध तथा प्रयुक्त तकनीकों के प्रयोग से संबंधित मामलों में अनुसंधान करना है । संस्थान के उत्तर-स्नातक कार्यक्रमों में 1978-79 के दौरान 24 अ० जा० अ० ज० जा० छात्रों सहित कुल 115 छात्र दाखिल थे । पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के विभिन्न स्तरों पर शिक्षावृत्ति कार्यक्रम में 28 छात्र हैं।

संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण के संबंध में इस वर्ष के दौरान अच्छी प्रगति हुई हैं । परिसर निर्माण के प्रथम चरण की जुलाई 1981 में पूर्ण हो जाने की आशा है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
122.00	76.00	115.00	68.40	89.00	80.85

VI. भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता

इस संस्थान की स्थापना अनुसंधान जारी रखने और प्रबंध व्यवसाय में सुधार करने के वास्ते परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रबंध क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1961 में की गई थी । इस संस्थान के उत्तर-स्नातक कार्यक्रम की वर्तमान भर्ती संख्या प्रतिवर्ष 100 है जिसमें से 20% स्थान अ० जा०/ अ० ज० जा० के लिए आरक्षित हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
48.00	51.79	44.19	51.79	60.00	58.62

VII. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की स्थापना मानविकी, समाज विज्ञान और सम्बद्ध क्षेत्रों में अग्रिम अनुसंधान करने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों को सुविधाएं जुटाने की दृष्टि से एक स्वायत्त आवासी संस्था के रूप में 1965 में की गई थी । यह संस्थान एक और तीन वर्ष तक के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों को शिक्षा-वृत्तियां प्रदान करता है । 1976-77 तक संस्थान में 40 से अधिक विजिटिंग फैलो में चार फैलो अर्ध स्थायी आधार पर नियुक्त किए गए थे । इनके अतिरिक्त कुछ गेस्ट फैलो की संस्थान में तीन महीने की अवधि में अपने अनुसंधान कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृति दी गई थी । इस संस्थान द्वारा लगभग 85 ग्रंथ प्रकाशित किए जिनमें उसके फैलोज द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य, मोनोग्राफ्स, सेमिनार इत्यादि की कार्यवाहियां शामिल थीं ।

सितम्बर, 1977 में सरकार ने संस्थान के कार्य की समीक्षा करने और संस्थान के लिए भावी नीति, कार्यक्रम और कार्यों के संबंध में सिफारिशें देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संस्थान को जारी रखना न्यायसंगत नहीं है और यदि संस्थान जारी रखा जाए तो उसके स्वरूप को बदला जाए और उसके उद्देश्यों को संशोधित किया जाए । समिति के अनुसार शिमला में संस्थान के स्थित रहने में कुछ दिक्कतें हैं ।

समीक्षा समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार संस्थान के पिछले अनुभव और संस्थान को किसी अन्य स्थान पर स्थित करने में लगने वाली लागत पर विचार करते हुए सरकार ने जून, 1979 में यह निर्णय किया कि संस्थान को 1 सितम्बर, 1979 से बन्द कर दिया जाना चाहिए । इस निर्णय पर अगस्त 1979 में सरकार द्वारा फिर से विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि पहले निर्णय के कार्यान्वयन को 31 मार्च, 1980 तक निलम्बित रखा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि इस दौरान इस प्रश्न की, कि क्या संस्थान को बन्द कर दिया जाए अथवा उसके कार्य को उपयुक्त साधनों के जरिए सुधारा जाए, जांच की जानी चाहिए ।

संस्थान की पुनः संरचना करने के लिए विभिन्न संभावनाओं की इस समय जांच की जा रही है । इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय होने तक संस्थान में कोई नई नियुक्ति अथवा किसी प्रकार का कोई नया कार्यक्रम अथवा कार्य शुरू नहीं किया जाएगा ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
35.00	20.00	35.00

VIII भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

इस परिषद का गठन इतिहास के वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने और ऐतिहासिक अनुसंधान के कार्यक्रमों को करने और साथ ही देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परंपरा को निश्चित रूप देने के लिए एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में किया गया था ।

वर्ष 1979-80 के दौरान परिषद् ने 17 अनुसंधान परियोजनाएं मंजूर की थीं । अध्ययन-अनुदानों के सहित शिक्षावृत्तियों की इस योजना के अंतर्गत परिषद् ने 25 शिक्षावृत्तियां और 80 अध्ययन-अनुदान प्रदान किए । ऐतिहासिक अध्ययन के विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों को वित्तीय सहायता की योजना के अधीन 13 मामलों में सहायता दी गई थी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर के इतिहासकारों के 7 व्यावसायिक संगठनों को 7 सेमिनार आयोजित करने के लिए अनुदान दिए गए थे और इतिहास में स्रोत-पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 20 मामलों में सहायता दी गई थी । परिषद् ने वर्ष 1979-80 के दौरान 3 आन्तरिक सेमिनार और एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए । "द्वितीय विश्वयुद्ध का इतिहास" और "मध्य एशियाई सभ्यता में अध्ययन" योजनाओं के अंतर्गत दो सर्वेक्षण और "स्वतंत्रता संग्राम में राज्य विधान सभाओं की भूमिका" योजना के अंतर्गत दो पुस्तकें पूरी की गई थीं । परिषद् ने "भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा" पत्रिका का एक खण्ड प्रकाशित करने के अलावा इतिहास में कोर-पुस्तकों के प्रकाशन के अंतर्गत आठ पुस्तकें और मूल लेखों की पांच पुस्तकें प्रकाशित की हैं ।

वर्ष 1980-81 के दौरान परिषद का 64 अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता करने 93 शिक्षावृत्तियां प्रदान करने, 105 अध्ययन-अनुदान मंजूर करने 40 प्रकाशन अनुदान देने और 15 व्यावसायिक संगठनों की सहायता करने और 1500 पुस्तकों का प्रकाशन करने का प्रस्ताव है। परिषद "भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा" और दो सूचनापत्रों के दो मामलों के अलावा "स्वतंत्रता संग्राम में राज्य विधान सभाओं की भूमिका" के अंतर्गत 2 पुस्तकें पूरी करने और 30 मूल-पुस्तकें प्रकाशित करने की भी आशा करता है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
11..00	9.00	18.00	9.00	20.00	20.13

IX. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबन्धों के आधार पर एक अंतरराज्य

निकाय हो गया है । इस विश्वविद्यालय का अनुरक्षण खर्च इस समय 40 : 60 के अनुपात से पंजाब सरकार और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा वहन किया जा रहा है । तथापि, विश्वविद्यालय का विकास खर्च इस समय किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा है, अतः यह निर्णय किया गया है कि पंजाब विश्व विद्यालय के भविष्य के संबन्ध में कोई अंतिम निर्णय लिए जाने तक भारत सरकार विश्वविद्यालय को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उचित ऋण स्वीकृत कर सकती है ताकि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर विकास अनुदान के बराबरी भाग को वहन कर सके और साथ ही विकास के कुछ ऐसे कार्य शुरू कर सके जो आयोग की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करता रहा है । तथापि, क्योंकि विश्वविद्यालय पिछले खर्चे का भारी बोझा वहन करता आ रहा है, इसलिए वर्ष 1980-81 में परिव्यय को बढ़ाकर 30 लाख तक कर दिया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
20.00	20.00	30.00

X. शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान

कनाडा के विश्वविद्यालयों और कालेजों से योग्य अध्येताओं द्वारा मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में भारत में अनुसंधान और अध्ययन संबन्धी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने, संस्थापक सदस्यों, विश्वविद्यालयों में वितरण के लिए भारतीय पुस्तकालय सामग्री प्राप्त करने और कनाडा के विश्वविद्यालयों और कालेजों में भारतीय अध्ययन के पीठों का निर्माण करने के लिए शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान की 1968 की स्थापना की गई थी । नई दिल्ली में कार्य कर रहे एक शाखा कार्यालय सहित इस संस्थान का प्रधान कार्यालय मोन्ट्रियल में स्थित है ।

वर्ष 1979-80 के दौरान 10 फैलोज भाषा प्रशिक्षणार्थी भारत आए । संस्थान के ग्रीष्म कार्यक्रम के अन्तर्गत 32 कनाडा के विश्वविद्यालय छात्रों और हाई स्कूल अध्यापकों का एक दल छः सप्ताह के लिए जुलाई-अगस्त 1979 के दौरान भारत आया ।

वर्ष 1980-81 के दौरान दस फैलोज भाषा प्रशिक्षणार्थियों की भारतीय दौरे पर आने की आशा है ।

ग्रीष्म कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 कनाडा के विश्वविद्यालय छात्रों और हाई स्कूल अध्यापकों के एक दल की जुलाई-अगस्त 1980 के दौरान छः सप्ताह अवधि के लिए भारत दौरे पर आने की आशा है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
16.00	16.00	16.00

XI. डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास

जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास की जाकिर हुसैन कालेज (भूतपूर्व दिल्ली कालेज) के प्रबन्ध और अनुरक्षण और इसे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की यादगार के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी सम्भालने के लिए सरकार द्वारा 1973 में स्थापना की गई थी। न्यास द्वारा कार्यान्वित होने वाला प्रमुख कार्यक्रम कालेज को उसके वर्तमान स्थान से बदल कर किसी ऐसे स्थान पर ले जाना है जहां उसका विकास करना संभव हो सके। इस उद्देश्य के लिए भूमि का पहले ही अधिग्रहण किया जा चुका है और नए भवन का निर्माण किया जाना है । निर्माण-कार्यक्रम के लिए योजनाओं तथा प्राक्कलनों को तैयार करके अंतिम रूप दिया जा चुका है और आशा है कि निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। नए भवन के निर्माण की आधी लागत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाएगी। शेष आधी लागत न्यास द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूर अनुदानों से पूरी की जानी है । इसके अतिरिक्त कालेज के अनुरक्षण खर्च का प्रबन्धकीय भाग भी न्यास द्वारा वहन किया जाएगा जिसे भी न्यास के लिए सहायक अनुदान के रूप में सरकार के रूप में सरकार द्वारा मंजूर किया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
10.00	1.65	10.00	1.65	12.50	1.73

XII. अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थाएं

इस योजना का उद्देश्य देश में कुछ ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देना है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और जो परम्परागत पद्धति से भिन्न शिक्षा के

कार्यक्रम कर रहे हैं । यह योजना कुछ ऐसे संगठनों की सहायता करती है जो विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर हैं और जो उनके अनुरक्षण तथा विकास के लिए साधन बढ़ाने में असामर्थ हैं, यद्यपि उनमें से कुछ ग्रामीण समाज के विशेष हित के बहुत ही लाभदायक कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं अथवा जो संरचना की दृष्टि से नवीन हैं । इस समय इस योजना के अन्तर्गत चार संस्थायें अर्थात् श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, लोक भारती, सानोसारा और कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून सहायता प्राप्त कर रही हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00

XIII.. भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ

भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ एक स्वैच्छिक संगठन है जिसके देश के सभी विश्वविद्यालय सदस्य हैं। इस संघ का मुख्य उद्देश्य देश में विश्वविद्यालयों के लिए एक मंच की व्यावस्था करना है ताकि विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके और उन सभी के सामान्य हित की समस्याओं पर विचार किया जा सके। सरकार इस संघ के अनुरक्षण खर्च के लिए एक सांकेतिक राशि दे रही हैं ।

इस संघ द्वारा किया गया एक प्रमुख कार्य प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल सभी विषयों में प्रश्न बैंकों की तैयारी करना था। संघ 10 प्रमुख विषयों में प्रश्न बैंक पहले ही तैयार कर चुका है और प्रकाशित कर चुका है । इसके अतिरिक्त, ग्रेडिंग प्रणाली, आन्तरिक मूल्यांकन इत्यादि के संबन्ध में अनेक शोध ग्रन्थ प्रकाशित किए गए हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
4.00	1.25	4.00	1.25	4.00	1.25

XIV.. विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदाना आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली एक संस्था है । सरकार जामिया के अनुरक्षण संबन्धी खर्चे के शुद्ध घाटे के आधार पर उसको वित्तीय सहायता देती है । उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जामिया एक स्कूल का संचालन कर रहा है और साथ ही तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान कर रहा है । जामिया उसके उच्च शिक्षा अनुभागों से संबन्धित अनुरक्षण खर्च का बड़ा भाग अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर अनुदानों से वहन करता है । तथापि, उसके स्कूल प्रौद्योगिकी विभाग इत्यादि से संबन्धित ऐसे खर्च जो वि०अ०आ० के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, को मंत्रालय द्वारा मंजूर अनुदानों से किया जा रहा है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
14.50	14.50	16.34

XV. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर

पांच वर्ष की शुरू की अवधि के लिए 2500 रुपये के मासिक वेतन सहित जिसे अगले पांच वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, विख्यात अध्येताओं को जीवन भर के लिए ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें 1000 रुपये प्रति मास की पेंशन का भुगतान किया जाता है । वे अपने संबन्धित क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं और अनुसंधान संबन्धी खर्च अनुदानों से पूरे करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत अंतिम नियुक्ति 1965 में की गई थी। इस समय कोई भी राष्ट्रीय प्रोफेसर जीवित नहीं है । इस योजना को उपयुक्त संशोधनों के साथ फिर से सक्रिय करने पर विचार किया जा रहा है जिसके लिए बजट में सांकेतिक व्यवस्था की गई है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
0.17	0.17	0.17

ग-प्रौढ शिक्षा

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं

रा०प्रौ०शि०का० के कार्यान्वयन के प्रमुख कार्यों में से एक प्रयास है जिसे ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं (ग्रा०का०सा०परि०) की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम

से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि राज्य सरकारें तथा संघीय शासन क्षेत्र इसके कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। उपयुक्त स्वैच्छिक एजेन्सियों को राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन का कार्य भी दिया जा सकता है। प्रत्येक परियोजना का आकार 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों तक है। प्रत्येक केन्द्र में औसत नामांकन 30 प्रौढ़ हैं। तथापि, लघु आकार की अथवा कठिन क्षेत्रों की योजना के अन्तर्गत 100 केन्द्रों की छोटे माप की परियोजना की भी व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1979-80 के दौरान ऐसी 245 परियोजनाएं सारे देश में स्वीकृत कर दी गई हैं। विशेष राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा तैयारियों की दृष्टि से ग्रा०का०सा०परि० के पर्याप्त रूप से बढ़ने की आशा है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपए)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1359.00	130.00	829.09	130.00	1240.00	130.00

II. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के प्रमुख कार्य वर्ष 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबन्धित कार्यों को करते रहना है। यह राज्यों में प्रमुख कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करेगा, अनुसंधान अध्ययन का उत्तरदायित्व लेगा, जांच तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में कार्य करेगा तथा शिक्षण और अध्ययन सामग्री तैयार करेगा। निदेशालय नव साक्षरों के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता भी आयोजित करता है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
30.00	19.83	26.54	18.68	40.00	20.35

III. प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता

वर्ष 1979-80 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी को बड़ी मात्रा में जारी रखा गया। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की एक समिति ने पूरे अनुदानों के भुगतान से संबन्धित समस्त मामले पर गहराई से विचार किया तथा विशेषकर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में स्वैच्छिक एजेन्सियों की थोड़े समय में अनियन्त्रित वृद्धि को कम करने के लिए बहुत सी सिफारिशें कीं। समिति की सिफारिशों पर आधारित मार्गदर्शन तथा स्पष्टीकरण सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को दे दिए गए हैं।

2. वे स्वैच्छिक एजेन्सियां जिन्होंने लगभग एक वर्ष की अवधि के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की अपनी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, उन्हें योजना के अन्तर्गत नव-साक्षरों के लिए उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम चलाने की सलाह दी गई है।

3. मंत्रालय की सहायता-अनुदान की सूची में स्वैच्छिक एजेन्सियों की संख्या 634 है। ये एजेन्सियां 700 से अधिक परियोजनाएं चला रही है जिनमें लगभग 30,000 केन्द्रों के करीब 9 लाख निरक्षर आते हैं।

4. वर्ष 1980-81 के दौरान योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 10 लाख निरक्षर आते हैं। वे सभी स्वैच्छिक एजेन्सियां जो अपने केन्द्रों को लगभग एक वर्ष चला चुकी हैं उन्हें उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्य करने आवश्यक होंगे। प्रायोगिक तथा अभिनव परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा तथा समाज की पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
410.00	5.25	410.00	5.25	530.00	7.50

IV. राज्य तथा जिला स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य मुख्यालयों तथा जिला स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन से राज्यों तथा जिलों को उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर रहने के अनुसार श्रेणियों में बांट दिया गया है। वर्ष 1979-80 के दौरान योजना में 25 राज्य/संघ शासित क्षेत्र तथा 181 जिले शामिल किए गए हैं।

वर्ष 1980-81 के दौरान, राज्य मुख्यालय स्तर पर सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों की तथा जिला स्तरीय व्यवस्था के लिए लगभग 300 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। अन्त में देश के प्रत्येक जिले में 1978-83 की मध्यावधि योजना के अन्त तक प्रशासनिक व्यवस्था कर दी जाएगी।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
90.00	84.60	100.00

V. श्रमिक विद्यापीठ

श्रमिक विद्यापीठ को शहरी कार्यकर्ताओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा जारी रखने की एक संस्था के रूप में व्यवस्था की गई है । इसकी प्रमुख जिम्मेदारी क्षेत्र में नई पद्धतियों को खोजना, विल्कप तैयार करना, नई बातों का पता लगाना है जिससे कि शिक्षा तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम के जरिए इन कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वर्ष 1979-80 के दौरान, कामगार सामाजिक शिक्षा संस्थाओं को श्रमिक विद्यापीठों में बदलने के लिए इन्दौर तथा नागपुर में कार्यवाई की गई । दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, तथा जमशेदपुर के वर्तमान श्रमिक विद्यापीठों के अतिरिक्त,, अजमेर, गुन्टूर तथा हैदराबाद में नये विद्यापीठ शुरू किए गए और गत वर्ष के दौरान बंगलौर, तथा कलकत्ता के लिए स्वीकृत श्रमिक विद्यापीठ चलाने के लिए प्रयास किए गए ।

वर्ष 1980-81 के दौरान सक्रिय वर्तमान श्रमिक विद्यापीठों के अतिरिक्त पांच नये श्रमिक विद्यापीठ शुरू करने का प्रस्ताव है जिससे विद्यापीठों की कुल संख्या 16 हो जाएगी।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
20.00	17.15	11.01	16.05	15.00	17.22

घ-छात्रवृत्तियां

I. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य है निर्धन किन्तु प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। इन छात्रवृत्तियों की दरें 50 रु० प्रतिमास से 125 रु० प्रतिमास के हिसाब से भिन्न-भिन्न हैं, जो छात्रों के शिक्षा स्तर तथा अध्ययन पाठ्यक्रम पर निर्भर करती हैं । ये छात्रवृत्तियां उत्तर-मैट्रिक स्तर, पर उन छात्रों को दी जाती हैं जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रुपये से कम होती है । एल०एल०बी० तथा बी०एड० पाठ्यक्रमों के अलावा जिन्हें प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के रूप में समझा जाता है, उत्तर-स्नातक स्तर पर ये छात्रवृत्तियां दी जाती है; जिनमें अभिभावकों की आय की गणना नहीं की जाती । यह योजना राज्य तथा संघ शासित सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के दौरान 22,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं । आगामी वर्ष के दौरान 23,000 नई छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1978-79 के अन्त तक पहुंचे स्तर तक के खर्च को राज्य सरकारें वहन करती हैं । इस स्तर से ऊपर तथा, अधिक खर्च को केन्द्रीय योजना की व्यवस्था में से पूरा किया जाता है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
82.00	60.00	90.00

II. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

यह योजना जरुरतमन्द किन्तु मेधावी छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता देती है । यह योजना 1963 में शुरु की गई थी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष से चली आ रही है । वर्ष 1979-80 के दौरान, 20,000 नई छात्रवृत्तियाँ दी गई थीं तथा आगामी वित्तीय-वर्ष के दौरान इतनी और छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव है । उत्तर-स्नातक अध्ययन अनुसन्धान योजना के अन्तर्गत छात्र के अभिभावकों की आय को ध्यान में रखे बिना, छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी । बी० एड०/एल०एल०बी० को प्रथम डिग्री के रूप में समझा जाएगा तथा एम०एड०/एल०एल०एम० को उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों के रूप में माना जाएगा । इसके अलावा, अन्य मामलों में, केवल वे छात्र, जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रु० से कम है, छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे । यह निर्णय किया गया है कि छठी योजना अवधि के दौरान वर्तमान स्तर पर अर्थात् प्रतिवर्ष 20,000 नई छात्रवृत्तियाँ देने के लिए इस योजना को अनौपचारिक योजना के रूप में संचालित किया जाए । राज्य सरकारें इस योजना को कार्यान्वित कर रही है तथा छात्रवृत्तियाँ गुण तथा साधन के आधार पर प्रदान की जाती हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
400.00	400.00	400.00

III. अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियों की योजना

यह योजना सन् 1952-53 से चल रही है । इसके अधीन उन मेधावी किन्तु निर्धन बच्चों को (जिनके अभिभावकों की आय 500 रु० मासिक से कम होती है) वित्तीय सहायता दी जाती है । जिसके कारण उन्हें अच्छे पब्लिक आवासीय स्कूलों में अध्ययन करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते । इस योजना के अन्तर्गत 11-12 आयु-वर्ग के बच्चों की प्रतिवर्ष 500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है । इनमें से 15% छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति तथा 5% छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं । बच्चों को ये छात्रवृत्तियाँ दो परीक्षाओं में उनकी योग्यता के आधार पर दी जाती हैं । प्रारम्भिक शिक्षा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा आयोजित की जाती हैं और अन्तिम परीक्षा का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के दौरान 444 छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी गई ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
72.00	72.00	75.00

IV. हिंदी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना है और इन राज्यों को शिक्षण और अन्य ऐसे पदों के लिए कार्मिक उपलब्ध कराना है जिनके लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है । वर्ष 1979-80 में 2,500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई थीं ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
33.00	33.00	33.00

V. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

यह योजना वर्ष 1971-72 से शुरू की गई थीं । इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक अवसरों में और अधिक समानता प्राप्त करना तथा ग्रामीण प्रतिभा के विकास को प्रोत्साहन देना है । वर्ष 1979-80 में प्रत्येक सामुदायिक खंड के लिए 4 छात्रवृत्तियों की दर से और 2 छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक जनजाति सामुदायिक विकास खण्ड के हिसाब से 21,000 छात्रवृत्तियाँ दी गई । वर्ष 1980-81 के दौरान 22,500 छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव है । प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के लिए 4 छात्रवृत्तियाँ, 2 अतिरिक्त छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक जनजाती सामुदायिक विकास खंड के लिए तथा प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के लिए अनुसूचित जाति के एक एक मेधावी बच्चे को छात्रवृत्ति तथा 20% तथा इससे अधिक छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति जनसंख्या के छात्रों को दी जाएंगी । यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 1978-79 के अन्त तक हुए खर्च को राज्य सरकारें वहन करेंगी । वर्ष 1979-80 तथा इसके बाद मंजूर अतिरिक्त छात्रवृत्तियाँ केन्द्रीय योजना व्यवस्थाओं से पूरी की जाती हैं ।

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की दरें निम्नलिखित हैं :—

(क) विशिष्ट स्कूलों में अध्ययन कर रहे छात्र

(1) छात्रावास अथवा मंजूरशुदा होस्टलों में रह रहे छात्रों के लिए	1,000 रु० वार्षिक
(2) दिवा छात्रों के लिए	500 रु० वार्षिक

(ख) अपनी इच्छा के स्कूलों में अध्ययन कर रहे छात्र

(1) शिक्षा पाने वाले उन स्कूलों में जहां शिक्षा पर फीस ली जाती है ।	250 रु० वार्षिक
(2) शिक्षा पाने वाले उन स्कूलों में जहां पर शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता ।	150 रु० वार्षिक

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
62.00	62.00	94.50

VI. सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत, अफ्रीकी, एशियाई तथा अन्य बाहरी देशों के विशिष्ट राष्ट्रिकों को कृषि, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और फार्मेसी, कला तथा मानविकी

के क्षेत्रों में 180 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं । यह योजना भारत तथा अन्य देशों के बीच मैत्री सम्बन्ध बढ़ाने तथा विशिष्ट देशों के राष्ट्रिकों को उच्च शिक्षा के लिए भारत में उपलब्ध सुविधाएं देने के लिए बनाई गई है । इस समय 46 देशों के 893 छात्र भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । वर्ष 1979-80 के दौरान, 180 छात्रों का चयन किया गया तथा 1980-81 के दौरान इतने ही छात्रों का और चयन किए जाने का प्रस्ताव है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
41.00	41.00	41.00

VII. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अप्राप्य ऋण तथा अग्रिम राशि को बट्टे खाते में डालना

इस योजना के अधीन इन छात्रों को दिए गए ऋण बट्टेखाते में डाल दिए जाते हैं (i) जो ऋण की वापसी से पहले मर जाते हैं अथवा अपंग या उनके अयोग्य हो जाते हैं और इस प्रकार कमा नहीं सकते हैं (ii) जो शिक्षण व्यवस्था में आते हैं अथवा प्रतिरक्षा सेवाओं में कम्बेटेंट के रूप में आते हैं, इनके मामले में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में शिक्षक के रूप में अथवा प्रतिरक्षा सेवाओं में कम्बेटेंट के रूप में की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए मूल ऋण के एक बटा दसवें के हिसाब से छूट दी जाती है । यह छूट तब तक दी जाती है जब तक कि ऋण की पूरी राशि खतम नहीं हो जाती ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
6.00	6.00	6.00

VIII. विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत, समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे मेधावी छात्रों को प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है । जिनके माता-पिता की सभी साधनों से आय प्रतिमाह 1,000 रु० से कम हो तथा जिनके पास अन्य चिकित्सा, कृषि तथा भारतीय अध्ययनों की अपेक्षा समुद्री वास्तुकला अथवा पी०एच०डी०/पोस्ट डाक्टरल अनुसन्धान में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए विदेशों में जाने के लिए साधन न हों । छात्रों को यू० एस० ए० तथा कनाडा में यू० एस० के 4,000 डालर वार्षिक निर्वाह अनुदान के रूप में तथा यू०के० सहित अन्य देशों में यू०एस० के 3,000 डालर वार्षिक दिए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, मंत्रालय उनकी पुस्तकों, आवश्यक यंत्रों, अध्ययन दौरों, शोध पुस्तकों की टाइपिंग तथा जिल्दसाजी, शिक्षा शुल्क, परीक्षा तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा वसूल की गई अन्य अनिवार्य फीस, भारत में आवास स्थान से लेकर विदेश में अध्ययन करने के स्थान तक तथा वापसी आदि का खर्च वहन करता है ।

वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 प्रत्येक वर्ष के दौरान 50 छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं । इन वर्षों में कोई भी छात्रवृत्ति रद्द नहीं की गई। उपरोक्त 150 निर्वाचित छात्रों में से केवल 104 छात्र विदेश में अध्ययन के लिए गए थे । शेष 46 छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल सका । वर्ष 1980 के दौरान उनके प्रवेशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
70.00	70.00	75.00

IX. विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत में अध्ययन के लिए विदेशी राष्ट्रिकों को दी गई छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

भारत में अध्ययत करने के लिए विदेशी छात्रों को राष्ट्रमंडल शिक्षावृत्ति/छात्रवृत्ति योजना, शिल्प निदेशक, प्रशिक्षण योजना, पारस्परिक छात्रवृत्ति योजना, भारत-विदेश-सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम इत्यादि के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । भारत सरकार रख-रखाव का खर्च और कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च भी वहन करती है । इस समय इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 250 छात्र भारत में अध्ययन कर रहे हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.00	26.00	0.50	19.00	1.00	22.0

X. विदेशों में भारतीयों को उच्च अध्ययन के लिए विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां

विभिन्न विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्र-वृत्तियाँ आदि के वास्ते उच्च अध्ययनों/विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए भारतीय स्कालरों को चुना जाता है । विदेश में सभी खर्च तथा बहुत-से मामलों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा खर्च भी विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा वहन किया जाता है । भारत सरकार केवल यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ते के खर्च तथा उन छात्रों की यात्रा का खर्च, जिनके बारे में प्रस्तावित करने वाली सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करती, वहन करती है । वर्ष 1979-80 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से अब तक 235 छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया है ।

जो भारतीय छात्र उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए अपनी इच्छा से विदेश जाते हैं उन्हें भी ऋण ब्याज सहित वापस करना होता है । 1979 में पांच ऋण स्वीकार किए गए ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
9.40	7.40	7.40

ङ-युवक सेवाएं खेल-कूद तथा शारीरिक शिक्षा

I. नेहरू युवक केन्द्र

नेहरू युवक केन्द्रों का कार्यक्रम नवम्बर 1972 में गैर-छात्र युवकों मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था । अब तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 255 केन्द्र संस्वीकृत किए जा चुके हैं । इन में से 190 नेहरू युवक केन्द्र काम शुरू कर चुके हैं ।

1979-80 के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा किए गये कार्यकलापों में शामिल हैं : युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवा के लिए कार्य शिवरों का आयोजन, वार्षिक लोक कला समारोह, लोक मंच कार्यशालाओं, कठपुतली नाच, नृत्य आदि जैसे सांस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन, खेल-प्रतिभा की खोज सहित खेलकूद, सिलाई, बुनाई, गुड़िया बनाने आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा ग्रामीण विकास विशेषकर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण, के कार्यक्रमों में युवक मंडलों और महिला मंडलों की भूमिका के संबंध में उचित सूझबूझ प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करना । व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक मास विभिन्न कौशलों में लगभग 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है । खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेहरू युवक केन्द्र प्रति माह औसतन 10,000 युवाओं को आगे बढाते रहे हैं । 136 केन्द्रों ने प्रौढ़ जहां प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सेवा कर्मियों की व्यवस्था है चेतना संघों (प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों) की स्थापना करके प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिया है । आशा है कि इन केन्द्रों द्वारा ऐसे ही 7,000 से अधिक और चेतना संघ स्थापित किए जाएंगे जिनसे लगभग 2 लाख व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे ।

नेहरू युवक केन्द्रों से सम्बन्धित समीक्षा दल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद इन केन्द्रों को कार्यक्रमों/कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये वार्षिक कर दी गयी है । युवक समन्वयकों तथा नेहरू युवक केन्द्र के अन्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन तथा परामर्श देने के लिए और अनुसंधान करने, नेहरू युवक केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए नरेन्द्रपुर (पश्चिम बंगाल), उदयपुर (राजस्थान) तथा गांधीग्राम (तमिलनाडु) में तीन सूचना विकास तथा संसाधन एजेंसियां संस्वीकृत की गई हैं :

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
65.25	108.50	44.00	104.95	75.50	109.00

II. राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा की शुरूआत अबर स्नातक छात्रों द्वारा स्वैच्छिक रूप से भाग लेने के उद्देश्य से चौथी योजना के के दौरान एक शक्षिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में की गई थी । इस योजना में समाज सेवा तथा राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में छात्रों को शामिल करने की व्यवस्था है ।

इस योजना का कार्यान्वियन राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों और अन्य उच्च अध्ययन संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है । संस्थाओं को अनुदान पर होने वाला खर्च केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 7 : 5 के अनुपात में वहन किया जाता है । संघ शासित क्षेत्रों (जहां विधान मंडल नहीं हैं) के मामले में 100% खर्च के लिए केन्द्रीय अनुदान की व्यवस्था है ।

इस समय यह योजना दादरा और नगर हवेली को छोड़कर जहां कोई कालेज नहीं है सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में चल रही हैं । यह योजना हाल ही में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, दमन और दीव जैसे कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में +2 स्तर पर शुरू की गई है ।

1979-80 के दौरान नियमित राष्ट्रीय सेवा योजना में लगभग 4.50 लाख छात्रों की (4.50 लाख छात्रों के लक्ष्य के मुकाबले में) तथा विशेष शिविर कार्यक्रम में 2.27 लाख छात्रों को (2.25 लाख के लक्ष्य को तुलना में) शामिल किया गया। 1980-81 के दौरान नियमित राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए 4.75 लाख छात्रों को तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के लिए 2.37 लाख छात्रों को शामिल करने का लक्ष्य है।

इस योजना के अन्तर्गत शामिल छात्र कर्मी व्यापक क्षेत्रों से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं जैसे कि शिक्षा तथा मनोरंजन (प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरोत्तर सेवा सहित) बाढ़, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं के समय सहायता तथा पुनर्वास संबंधी कार्य पर्यावरण का सुधार (वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण सहित), स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा पोषण, कृषि के क्षेत्र में उत्पादनोमुख कार्यक्रम, अस्पतालों, आदि जैसी कल्याण संस्थाओं में सामाजिक सेवा का कार्य।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
29.00	228.15	26.80	199.50	35.00	244.46

1980-81 की वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि मुख्यतः लक्षित दाखिले में वृद्धि तथा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के खर्च की सीमा के 6 रु० से 8 रु० तक बढ़ जाने के कारण है।

III. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम

भारत, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम में 1973-74 में इसकी स्थापना से ही भाग लेता आ रहा है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में तीन क्षेत्रीय युवा विकास केन्द्रों में से एक केन्द्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता 5 लाख रुपये की है जिसमें से 50% विदेशी मुद्रा में दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत युवा कार्यकर्ताओं को सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा युवा कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राष्ट्र मण्डल देशों में भेजा जाता है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
0.10	5.00	0.10	5.00	0.50	6.00

IV. युवकों के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना

इस सम्पूर्ण योजना की समीक्षा विशेषज्ञों के एक कार्य दल द्वारा की गई थी और इसे संशोधित कर दिया गया है। पहले तीन अलग अलग योजनाएं थी--एक कार्य केन्द्रों की स्थापना की, दूसरी युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की तथा तीसरी स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिये उस समीक्षा के आधार पर इन सभी योजनाओं को मिलाकर एक योजना बना दी गई है और इस कार्यक्रम में प्रमुख बल विकास कार्यकलापों पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को पूर्णकालिक आधार पर लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। 1979-80 के दौरान 5,000 से भी अधिक युवकों को युवा नेतृत्व प्रशिक्षण सहित लगभग 45 परियोजनाओं के लिए 13.60 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए थे।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
12.50	12.50	13.00

V. राष्ट्रीय एकता की उन्नति

इस योजना में देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवकों में विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक सूझबूझ पैदा करने की व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के काम में स्वैच्छिक संगठनों का अधिकाधिक सहयोग लेने की व्यवस्था है। वर्ष 1979-80 के दौरान नागालैण्ड, असम जैसे राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र गोवा में राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों के संचालनार्थ छः संगठनों को 0.53 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
1.90	1.00	2.10

VI. स्काउटिंग तथा गाइडिंग

यह एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है जिस का उद्देश्य लड़के तथा लड़कियों के चरित्र के सर्वांगीण विकास में सहायता देना। इस आन्दोलन को सरकार द्वारा भारत स्काउट्स तथा गाईड्स और अखिल भारतीय बालचर संगठन

को उनके प्रशासन पोषण तथा प्रशिक्षण शिविरों, राष्ट्रीय एकता शिविरों युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों जम्बूरियों, समागम, आदि जैसे कार्यकलापों के लिए अनुदान देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

1979-80 के दौरान 1.09 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 0.80 लाख रुपये केवल अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाने के लिए संस्वीकृत किए गए थे।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.50	4.00	1.50	3.00	1.50	3.50

VII: साहसिक कार्यों की उन्नति

इस योजना के उद्देश्य हैं युवकों में जोखिम उठाने, मिल-जुल कर काम करने की भावना पैदा करने, चुनौती-पूर्ण स्थितियों में तुरन्त तथा सक्रिय रूप से काम करने की क्षमता तथा धैर्य का निर्माण और विकास करना है। इन उद्देश्यों के लिए प्रोत्साहन पैदा करने के लिए पर्वतारोहण, लम्बे पैदल यात्रा, साईकिल चालन, नौचालन, आदि जैसी कार्यकलापों तथा इन कार्यों को करने के लिए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 1979-80 के दौरान लगभग 2,500 युवकों को अनुदान संस्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त भारतीय युवक छात्रावास संघ, नई दिल्ली को पर्वतारोहण उपकरणों की खरीद के लिए एक लाख रुपये का अनुदान भी दिया गया।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

	बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
साहस का विकास	6.00	3.00	6.00	3.00	7.00	3.00
हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान	..	2.00	..	2.00	..	2.00

साहसिक कार्यों की प्रोन्नति की योजना के अन्तर्गत की गई 3.00 लाख रुपये (योजनेतर) की व्यवस्था पूर्णतः भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के लिये है।

VIII: राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना

राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना वर्ष 1977-78 से आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य है उन छात्रों को जिन्होंने अपनी प्रथम डिग्री पूर्ण कर ली है एक वर्ष तक पूर्ण कालिक आधार पर राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यकलापों में स्वच्छिक रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करना राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना युवकों को स्नातक होने अथवा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने और रोजगार शुरू करने के बीच के समय में अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि और अभिरुचि के अनुसार रचनात्मक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। प्रारम्भ में राष्ट्रीय सेवा कर्मियों को कम से कम एक वर्ष तक नेहरू युवक केन्द्रों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के काम में लगाया जा रहा है। कर्मियों को क्षेत्र में काम शुरू करने से पहले समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक कर्मी को यात्रा तथा फुटकर खर्च के अलावा 175 रुपये प्रतिमाह का वजीफा दिया जाता है।

वर्ष 1979-80 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत नेहरू युवक केन्द्रों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों में लगभग 450 कर्मियों ने कार्य किया। वर्ष 1980-81 के दौरान 700 कर्मियों को काम पर लगाने का लक्ष्य है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
3.00	15.00	0.55	9.00	4.30	15.00

1980-81 में योजनागत खर्च में वृद्धि का प्रमुख कारण है और अधिक कर्मियों को काम पर लगाने का प्रस्ताव।

IX. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडलों का विनिमय

इस योजना का उद्देश्य है विभिन्न स्तरों पर युवकों में परस्पर विचार-विमर्श के माध्यम को सुदृढ़ बनाना और युवा विनिमय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों आदि में भाग लेकर अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ और सद्भाव को बढ़ावा देना। वर्ष 1979-80 के दौरान अन्य विनिमय कार्यक्रमों के अतिरिक्त श्रीलंका और भारत के बीच 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का विनिमय हुआ।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
1.00	1.00	0.50

X. राष्ट्रीय स्वस्थता कोर

शारीरिक शिक्षा के समेकित राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को राज्य सरकारों द्वारा सन् 1965 में उच्च तथा मिडिल स्तरों के सभी स्कूलों में समान रूप से कार्यान्वित करने के लिए अपनाया गया था। इस कार्यक्रम को सहायक केडिट कोर, कवायद, शारीरिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना, आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के स्थान लेना था।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षण स्टाफ को वेतन पहले भारत सरकार द्वारा दिया जाता था। इसे अब राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को स्थानान्तरिक कर दिया गया है तथा केन्द्रीय सरकार का दायित्व राज्यों द्वारा खपाए गए राष्ट्रीय अनुशासन योजना के कर्मचारियों की वेतन तथा भत्तों पर होने वाले खर्च और आकस्मिक खर्च की प्रतिपूर्ति तक ही सीमित हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
390.80	389.97	405.96

खेल-कूद

I. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला और राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना

भारत सरकार द्वारा सन् 1961 में स्थापित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और इसके बंगलौर स्थित दक्षिणी केन्द्र (सन् 1975 में स्थापित को विभिन्न राज्यों को बहुत ऊंचे दर्जे के विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों की व्यवस्था करने तथा देशभर में फैले क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस संस्थान में इस समय निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है :

(i) प्रशिक्षण में मास्टर्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(ii) प्रशिक्षण में नियमित डिप्लोमा

(iii) प्रशिक्षण में संक्षिप्त डिप्लोमा

(iv) सेवाकालीन कार्मिकों के लिए पुनश्चर्या/अनुस्थापन पाठ्यक्रम।

इस संस्थान ने अब तक विभिन्न खेलों में 98 विदेशी प्रशिक्षकों सहित 4,412 प्रशिक्षक तैयार किए हैं। 1979-80 के शैक्षिक सत्र में इस संस्थान तथा इसके बंगलौर स्थित दक्षिणी केन्द्र में 15 विदेशी प्रशिक्षार्थियों सहित 427 प्रशिक्षार्थियों को 16 खेलों के नियमित तथा संक्षिप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान किया। इसके अतिरिक्त 10 व्यक्तियों को प्रशिक्षण के दो वर्षीय स्नातकोत्तर मास्टर्स डिप्लोमा में दाखिल किया गया है। संस्थान ने इसके साथ-साथ पटियाला, बंगलौर, ग्वालियर तथा दिल्ली में 600 शिक्षकों तथा अन्य लोगों के लाभ के लिए खेलों में एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी आयोजित किया।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अब संस्थान के पास 550 प्रशिक्षकों का प्राधिकृत संवर्ग है। इसकी तुलना में 1979-80 के अन्त तक कार्यरत प्रशिक्षक की संवर्ग संख्या 520 थी।

राज्य खेल परिषदों और नेहरू युवक केन्द्रों के सहयोग से 23 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों ने राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में अपना काम जारी रखा।

1979-80 के दौरान संस्थान द्वारा किये गये कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं :

(i) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीमों के भाग लेने से पहले इन टीमों के लिए पटियाला तथा बैंगलौर में आयोजित 52 प्रशिक्षण शिविर।

(ii) तैराकी, बालीबाल तथा मुक्केबाजी के भारतीय प्रशिक्षकों के लाभ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक सालिडैरिटी पाठ्यक्रमों का आयोजन इसके अतिरिक्त भारतीय ओलम्पिक समिति सालिडेरिटी के अन्तर्गत एक एशियाई क्षेत्रीय खेल चिकित्सा पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया।

(iii) एशियाई देशों के लिए तीरंदाजी तथा जिमनास्टिक में एक-एक क्षेत्रीय ओलम्पिक सोलिडेरिटी पाठ्यक्रम आयोजित किया गया

(iv) 400 रुपये प्रति माह की राशि को 4 खेल चिकित्सा शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई।

1980-81 के दौरान संस्थान जो महत्वपूर्ण कार्यकलाप करना चाहता है उनमें से कुछ हैं :

(i) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले राष्ट्रीय टीमों के लिए 50 प्रशिक्षण शिविर ;

(ii) नियमित/संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठयक्रमों में पटियाला तथा बंगलौर स्थित दक्षिणी केन्द्र में 420 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षिकों को दाखिला देना;

(iii) बंगलौर स्थित दक्षिणी केन्द्र के परिसर का निर्माण कार्य शुरू करना; और

(iv) स्टाफ क्वार्टरों और एक नये प्रशिक्षार्थी छात्रा-वास का निर्माण ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
39.00	87.00	34.00	82.00	45.00	90.40

II. राष्ट्रीय खेल संघों/संस्थाओं को अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खल संघों संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण शिविर;

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों का यात्रा खर्च;

(iii) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा आने वाली विदेशी टीमों पर होने वाले खर्च के कुछ अंश वहन करने के लिए;

(iv) सीनियरों, जूनियरों तथा उप-जूनियरों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन; और

(v) खेल सामग्री की खरीद ।

1979-80 के दौरान 38 संघों को राष्ट्रीय टीमें तैयार करने और अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भारतीय टीमों को विदेश भेजने के यात्रा खर्च के लिए कुल 32 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई ।

विभिन्न प्रयोजनों के लिए उदार सहायता प्रदान करने के लिए इस वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत सहायता की पद्धति में संशोधन किया गया है और संशोधित पद्धति को एक दिसम्बर 1979 से लागू कर दिया गया है । इस उदार पद्धति में अन्य बातों के साथ-साथ खेल उपस्करों तथा जूनियर्स के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि XXIIवें ओलम्पिक खेल 1980-81 के दौरान आयोजित किए जाएंगे, विभिन्न खेलों से संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देने के लिए काफी अधिक राशि आबंटित की गई है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
22.00	10.00	22.00	10.00	40.00	10.00

III. राज्य खेल परिषदों को अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय खेल परिषद की सिफारिश पर राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, जिनकी प्राथमिकता अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा तय की जाती है 50 : 50 के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है :—

(i) राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन;

(ii) ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना तथा रख-रखाव;

(iii) खेल उपस्करों की खरीद

(iv) खेल-मैदानों का विकास; और

(v) इन-डोर तथा आउट-डोर स्टेडियमों, व्यायाम-शालाओं तथा तरणतालों आदि का निर्माण ।

यह योजना इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं है कि यह राज्य सरकारों/राज्य खेल परिषदों को खेलकूद संबंधी अत्यावश्यक भौतिक सुविधाओं का विकास करने में प्रोत्साहन देती है बल्कि इसलिए भी कि यह खेल कूद को, विशेषकर ग्रामीण और जनजातिय क्षेत्रों में, व्यापक आधार प्रदान करने में योगदान देती है ।

वर्ष 1979-80 के दौरान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता दी गई :—

(i) 13 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के शिविरों आयोजन;

(ii) 20 इन-डोर आउट-डोर स्टेडियमों के निर्माण;

(iii) 3 तरणतालों का निर्माण

(iv) 72 खेल-मैदानों का विकास;

(v) 342 नये ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना तथा विद्यमान 276 ग्रामीण खेल केन्द्रों का रख-रखाव; तथा

(vi) 2,35,000 रुपये मूल्य के खेल उपस्करों की खरीद ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
32.00	30.00	50.00

IV. राष्ट्रीय खेल संघटन

इस योजना का उद्देश्य कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में खेलों के स्तर में सुधार करना तथा प्रतिभाशाली पुरुष/महिला खिलाड़ियों की उनके अपने अपने खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता देना है। इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में व्यायामशालाओं के निर्माण और खेल मैदानों के विकास इत्यादि के लिए तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को 1,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा विश्वविद्यालयों के बीच प्रशिक्षण एवं खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सहायता दी जाती है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
22.00	22.00	22.00

V. ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं

ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का एक देश व्यापी कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने 1970-71 में आरम्भ किया जिसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों के एक बड़े भाग को देश की प्रमुख खेलधारा में शामिल करना और उनमें खेल प्रतिभाओं का पता लगाना तथा उन्हें बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम में अब ब्लाक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लगभग 12 लाख ग्रामीण युवक प्रतिवर्ष भाग लेते हैं।

1979-80 के दौरान निम्नलिखित वर्गों में X वीं अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई :

1. तैराकी : पटियाला, अप्रैल, 1979
2. फुटबाल, बालीबाल : श्रीनगर, (जम्मू तथा काश्मीर) व्यायाम अक्तूबर 1979
3. एथलेटिक्स, हाकी और बास्केटबाल : गुन्टूर (आ० प्रदेश) जनवरी-फरवरी, 1980
4. कबड्डी, खो-खो, कुश्ती तथा तीरंदाजी : कोयम्बटूर (तमिलनाडु), फरवरी, 1980।

1980-81 के दौरान इसी आधार पर XIवीं अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता आयोजित होने की आशा है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
10.00	6.00	10.00

VI. खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर के ऐसे युवकों और युवतियों को जो खेलों में प्रतिभावान हैं और राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आधार पर चुने गये हैं नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के माध्यम से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। वर्ष 1979-80 में युवकों तथा युवतियों को 900 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्रवृत्ति की दर से राष्ट्रीय स्तर की 400 छात्रवृत्तियां तथा 600 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्रवृत्ति की दर की राज्य स्तरीय 800 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त गत वर्ष प्रदान की गई लगभग 150 राष्ट्रीय स्तर की तथा 300 राज्यस्तर की छात्रवृत्तियों का नवीकरण किया गया।

वर्ष 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय इतनी ही छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
12.50	12.20	12.50

VII. राष्ट्रीय खेल परिसर

इस योजना में एक राष्ट्रीय खेल परिसर के विकास के लिए शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की आवंटित राजघाट खेल परिसर पर होने वाले रख-रखाव संबंधी खर्च की व्यवस्था है। राजघाट खेल परिसर का रख-रखाव मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों की सोसायटी द्वारा किया जा रहा है और राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों की सोसायटी द्वारा रख-रखाव पर किए गए

खर्च की प्रतिपूर्ति मंत्रालय द्वारा एक लाख रुपये के वार्षिक अनुदान द्वारा की जाती है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
1.00	1.00	1.00

VIII. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर सन् 1957 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य है शैक्षिक संस्थाओं और अन्य एजेंसियों के लिए उच्च कोटि के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस कालेज में दो स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अर्थात् (1) शारीरिक शिक्षा स्नातक (तीन वर्षीय आवासीय पाठयक्रम) तथा (2) शारीरिक शिक्षा का मास्टर (दो वर्षीय आवासीय पाठ्यक्रम)। इसके अतिरिक्त इस कालेज में निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं:-

(1) सेवा कालीन कार्मिकों के लिए शारीरिक शिक्षा का तीन वर्षीय मास्टर पाठ्यक्रम (ग्रीष्म पाठ्यक्रम) ;

(2) सेनाओं के समयपूर्व मुक्त कार्मिकों के लिए शारीरिक शिक्षा में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम; और

(3) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला की ओर से शिक्षकों के लिए खेल, प्रशिक्षण में छः सप्ताह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। इस कालेज का शैक्षिक वर्ष 1980-81 से शारीरिक शिक्षा में एम० फिल० पाठ्यक्रम भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

डिग्रियां प्रदान करने के मामले में यह कालेज जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

शैक्षिक सत्र 1979-80 के दौरान इस कालेज में नियमित तथा आवासीय पाठ्यक्रमों में 71 महिलाओं सहित छात्रों की संख्या 367 थी। कालेज ने सन् 1957 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक शारीरिक शिक्षा में 1504 स्नातक तथा 339 उत्तर-स्नातक तैयार किए हैं।

1979-80 के दौरान पूरे किए गये निर्माण कार्य में शामिल हैं, एक सौ पुरुष छात्रों के लिए एक नया छात्रावास, प्रमुख कालेज भवन का विस्तार तथा कालेज की चार दीवारी का निर्माण ।

इस कालेज को राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम के कार्यान्वयन, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संबंधी प्रकाशित साहित्य के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा कुछ विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता द्वारा शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने का काम भी सौंपा गया है। वर्ष 1980-81 के दौरान प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित है :

(1) नियमित शारीरिक शिक्षा स्नातक तथा शारीरिक शिक्षा उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों में 350 छात्रों का प्रशिक्षण ;

(2) शारीरिक शिक्षा के तीन वर्षीय स्नातकोत्तर (ग्रीष्म पाठ्यक्रम) के अन्तर्गत एक सौ छात्रों का प्रशिक्षण;

(3) सेना के समय पूर्व मुक्त कार्मिकों के लिए शारीरिक शिक्षा में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ;

(4) सेवा कालीन शिक्षकों के लिए खेल प्रशिक्षण में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ;

(5) निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को शुरू करना :—
(क) शारीरिक शिक्षा में एम० फिल पाठ्यक्रम;
(ख) एम० ए० एम० एस० सी० (शारीरिक शिक्षा) द्विविषयक पाठ्यक्रम ;

(6) सेवा कालीन कार्मिकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन; और

(7) अनुसंधान प्रयोगशाला का विकास।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
8.00	16.68	8.00	16.68	9.08	18.98

IX. राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम

(राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान)

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान नामक यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा सन् 1959 में लोगों में शारीरिक स्वस्थता के विचार को लोकप्रिय बनाने और उनमें उच्च कोटि की शारीरिक दक्षता और निष्पादन प्राप्त करने के लिए उत्साह जगाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम कर दिया गया है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज द्वारा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य जारी रखा गया।

1979-80 के दौरान राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम को देश भर में आयोजित किया गया और 1980-81

के दौरान भी इस कार्यक्रम को इसी प्रकार आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
4.00	3.30	4.50

X. योग की उन्नति

इस योजना के अन्तर्गत रोगोपचार संबंधी पहलुओं को छोड़ कर योग के विभिन्न पहलुओं में बुनियादी अनुसंधान और/अथवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के लिए अखिल भारतीय स्तर की योग संस्थाओं को अनुरक्षण और विकास खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

कैवल्यधाम श्रीमन् माधव योग मन्दिर समिति, लोनावाला (पूना) को उसके रख-रखाव तथा विकास खर्च, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और/अथवा अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए योजना की स्वीकृत पद्धति के अनुसार सहायता जारी रखी गई ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
6.00	3.50	6.00	3.50	6.00	4.00

XI. महिला खेलों के लिए अनुदान

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा महिलाओं के लिए एक वार्षिक खेल समारोह आयोजित किया जाता है और इससे पहले ब्लाक जिला तथा राज्य स्तरों पर महिलाओं की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं ।

इस समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2000 युवतियां प्रतिवर्ष भाग लेती हैं और इस पर होने वाला सम्पूर्ण खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

महिलाओं का पांचवां राष्ट्रीय खेल समारोह मध्य प्रदेश राज्य खेल परिषद् के सहयोग से 19 से 23 जनवरी, 1980 तक जबलपुर में आयोजित किया गया ।

1980–81 के दौरान महिला राष्ट्रीय खेल समारोह के अतिरिक्त कुछ नये कार्यक्रमों कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
2.00	6.00	..	5.55	2.00	6.00

XII. शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार की शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है । यह सहायता इन संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं के सुधार से संबंधित विशेष परियोजनाओं पर होने वाले खर्च के 50 प्रतिशत तक दी जाती है और यह सहायता प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी ।

1979–80 से लेकर इस योजना के कार्यान्वयन का काम राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों की सोसायटी को सौंप दिया गया है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
3.00	3.00	3.00

XIII. अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कारों की यह योजना सन् 1961 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष उन प्रतिभाशाली पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की व्यवस्था है जिन्होंने विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की हैं। ये पुरस्कार अब सभी मान्यताप्राप्त खेलों के लिए अनुमत्य हैं तथा प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक सम्मान पत्र तथा एक कांस्य प्रतिमा के अतिरिक्त दो वर्षों की अवधि तक 200 रुपये प्रति माह की दर से एक छात्रवृत्ति दी जाती है और भारत में खेले जाने वाले किसी भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मैच को देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश भी दिया जाता है । 1978-79 के लिए 16 अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं।

वर्ष 1979-80 के लिए भी इसी प्रकार अर्जुन पुरस्कार देने का प्रस्ताव है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
0.65	0.43	0.61

XIV. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत खेल तथा शारीरिक शिक्षा दलों/विशेषज्ञों का विनिमय

इस योजना के अन्तर्गत कनाडा, यू० ए० ई०, बहरेन तथा मंगोलिया के साथ हाकी (महिला), फुटबाल तथा कुश्ती की टीमों का विनियम किया गया।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
3.00	..	3.00

XV. 1982 के एशियाई खेलों का आयोजन

सरकार ने 1982 के एशियाई खेल भारत में आयोजित करने का निर्णय किया है। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन के लिए केन्द्रीय मंत्रालय है और इसीलिए इस मंत्रालय के बजट में इसके लिए व्यवस्था की गई है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
50.00	15.34	600.00

च. पुस्तक उन्नति

I. विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के सस्ते मूल्य के संस्करणों का प्रकाशन

(क) विदेशी पुस्तकें :

इस योजना का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालय स्तर की मूल पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों के ऐसे मानक सस्ते-मूल्यों के संस्करण उपलब्ध कराना है जिन्हें वे खरीद सकें। साथ ही उनको इस योग्य बनाना है ताकि वे अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में, खासकर विकसित देशों में हुए अद्यतन विकासों से स्वयं को अवगत रख सकें। इस उद्देश्य के लिए इग्लैंड, सं० रा० अमरीका और सोवियत रूस सरकार के सहयोग से कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/चुनी गई पुस्तकों के ऐसे नवीन संस्करणों की, जिनके समतुल्य भारतीय लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रकाशन के लिए सिफारिश की गई है।

इन पुस्तकों के सस्ते प्रकाशन का मुख्य खर्चा सम्बन्धित सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला खर्चा सोवियत पुस्तकों का अनुवाद, मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए पुस्तकों के सारांशों की तैयारी, संयुक्त भारत सोवियत पाठ्यपुस्तक बोर्ड की बैठकें, जो वैकल्पिक रूप से भारत और सोवियत रूस में आयोजित की जाती हैं, सोवियत पुस्तकों इत्यादि को अपनाने के लिए विशेषज्ञों/लेखकों के दौरों का आदान-प्रदान जैसे सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत विचारार्थ ली गई पुस्तकों के मूल्यांकन पर है।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक लगभग 700 ब्रिटिश, 1615 अमेरिकन और 325 सोवियत पुस्तकें प्रकाशित की गई है।

संघीय जर्मन गणराज्य, जर्मन जनवादी गणराज्य, पोलैण्ड और हंगरी के साथ चालू सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों में इन देशों के साथ विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के एक संयुक्त कार्यक्रम के विषय शामिल हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
1.00	0.60	1.00

(ख) भारतीय पुस्तकें :

अंग्रेजी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के आर्थिक सहायता प्राप्त प्रकाशन की एक योजना राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा 1970 से क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य (क) यह सुनिश्चित करना है कि सस्ते मूल्य के संस्करणों में विदेशी पुस्तकों के पुनः प्रकाशन का देशी पुस्तकों के प्रकाशन पर कुप्रभाव न पड़े; (ख) भारतीय लेखकों को प्रोत्साहन देना; और (ग) भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को सस्ते मूल्य पर ऐसी मानक पाठ्यपुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराना जो विदेशी लेखकों की वैसी ही पुस्तकों के बराबर हो सकें।

अब तक (1979-80 के दौरान 53 पुस्तकों सहित) 332 पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।

आशा है कि 1980-81 के दौरान लगभग 75 पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

वित्तीयय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
22.000	4.31	20.00

II. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

(क) सामान्य कार्यकलाप

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1957 में गठन किया गया था। इसके अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्य हैं (i) आम जनता के लिए विशेषकर ऐसी जनता के लिए जिसको कुछ शिक्षा तो मिली है किन्तु उच्च शिक्षा नहीं मिली है, कम कीमत की पुस्तकों का प्रकाशनन और इस काम को प्रोत्साहन देना (ii) लोगों के दिमाग में पुस्तकों के प्रति आकर्षण जागृत करना।

मार्च, 1980 के अन्त तक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की कुछ सुविचारित सीरिज में 967 पुस्तकें न्यास द्वारा प्रकाशित की गई है। न्यास ने कुल मिलाकर मार्च, 1980 के अनन्त तक भारत के अनेक प्रमुख शहरों में 9 राष्ट्रीय पुस्तक मेले आयोजित किए हैं। न्यास ने पुस्तक-लेखन, प्रकाशन, अनुवाद, वितरण इत्यादि के विभिन्न पहलुओं पर अनेक विचार गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला आदि के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में जिला मुख्यालयों और नगरेत्तर कस्बों में लगभग 90 क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया है।

1979-80 के दौरान न्यास ने 74 पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

आलोच्य अवधि के दौरान न्यास के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में कुछछ इस प्रकार हैं :—

(i) उ० प्र० उर्दू अकादमी के सहयोग से लखनऊ में सबसे पहले राष्ट्रीय उर्दू पुस्तक मेले का आयोजन ;

((ii) बम्बई पुस्तक मेले में बाल-पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी ;

((iii) नई दिल्ली और हैदराबाद प्रत्येक में एक-एक विद्यमान केन्द्रों के अलावा, कलकत्ता में एक पुस्तक केन्द्र की स्थापना, न्यास के निजी प्रकाशनों के वितरण के लिए साधन बढ़ाना ;

(iv) अगले दस वर्षों में पंजाबी तथा मलयालम भाषाओं में प्रकाशन सम्बन्धी दो सेमिनारों का आयोजन;

(v) छठें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन।

सन् 1980-81 के दौरान न्यास का निम्नलिखित कार्य शुरू करने का विचार है :—

(i) विभिन्न सीरीजों के अन्तर्गत 30 मूल पुस्तकों और 60 अनुवादों का प्रकाशन;

(ii) 10वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन ;

(iii) अधिक पुस्तक केन्द्रों की स्थापना ; और

(iv) सेमिनारों, विचार-गोष्ठियों इत्यादि के अलावा विपणन अनुसंधान तथा क्षेत्रीय पुस्तक मेले/प्रदर्शनियां।

(ख) विशेष कार्यक्रम :

(i) आदान-प्रदान

इस योजना का उद्देश्य भारत के विविध भाषाई जनसंख्या की अन्तरक्षेत्रीय सूझ-बूझ और भावनात्मक एकता को प्रोत्साहन देना है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक भाषा में दस तक महत्वपूर्ण और सुविख्यात पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।

सन् 1979-80 के दौरान न्यास ने 35 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और अनुवाद किया है। इस सीरीज के अन्तर्गत पुस्तकों की कुल संख्या 462 तक हो गई है।

सन् 1980-81 के दौरान लगभग 60 पुस्तकें और अनुवाद प्रकाशित करने का विचार है।

(ii) विश्व पुस्तक मेला

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रत्येक दो वर्षों में एक विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करना और पुस्तकों तथा प्रकाशनों आदि के निर्यात को बढ़ावा देना है।

चौथे विश्व पुस्तक मेले का 29 फरवरी से 11 मार्च, 1980 तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इस मेले में भारत तथा विदेशों से लगभग 500 प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं ने भाग लिया। इस मेले के साथ "विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाशन" नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार और कुछ अन्य सेमिनार/विचार-गोष्ठियां भी आयोजित की गई थी।

(iii) कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर्स

इसका उद्देश्य अपने कार्यालय परिसरों, स्टाफ क्वार्टर्स इत्यादि के लिए अपने निजी भवन का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सहायता करना है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
25.00	14.89	33.60	21.22	21.25	24.11

(iv) नेहरू बाल पुस्तकालय

राष्ट्रीय एकता को मुख्य मुद्दा मानकर बच्चों के लिए पूरक पठन सामग्री उपलब्ध करने की दृष्टि से मंत्रालयों की ओर से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा यह योजना कार्यान्वित की जाती है। प्रत्येक पुस्तक सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है।

वर्ष 1979-80 के दौरान, अनुवादों सहित 79 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, जिससे इस शृंखला के अन्तर्गत प्रकाशन की कुल संख्या 642 हो गई है।

बाल वर्ष मनाने और क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए न्यास 12 भारतीय भाषाओं में समकालीन कहानियों का संग्रह प्रकाशित कर रहा है। इसके साथ-साथ, बच्चों के लिए एक भारतीय समकालीन कहानियों का एक संग्रह तैयार किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक भारतीय भाषा की एक कहानी शामिल होगी। दूसरी विशेष परियोजना भारतीय त्यौहारों के सम्बन्ध में एक पुस्तक है जिसमें रंगीन और काले सफेद दोनों प्रकार के फोटो काफी संख्या में हैं।

1980-81 के दौरान 20 मूल पुस्तकें और 50 अनुवाद प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
5.00	9.87	8.75

III. पुस्तक निर्यात उन्नति कार्यकलाप

(क) राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन

बोर्ड के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है। तथापि पूर्ववर्ती बोर्ड जिसने फरवरी 1974 तक कार्य किया, द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
1.00	1.00	1.775

(ख) पुस्तक निर्यात प्रोत्साहन कार्यकलाप

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों और अनुवाद अधिकारों के विक्रय को प्रोत्साहन देना और मुद्रण सेवाओं को प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर और विदेशों में अपनी पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करके बाजारों का अध्ययन तथा व्यावसायिक प्रचार आयोजित करके विदेशों में पुस्तकों के प्रचार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

1979-80 के दौरान भारत ने पुस्तक समारोह तथा पुस्तक मेला, सिंगापुर में, अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, मास्को में, लन्दन पुस्तक मेला, अन्तर्राष्ट्रीयपुस्तक मेला फ्रेंकफुर्त में, काहिरा पुस्तक मेला, लिपजिग पुस्तक मेला और बोलोगुआ बाल पुस्तक मेले में भाग लिया। मारीशस कैनया, तनजानिया, मिस्र, नाइजीरिया और ईराक में भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गई। बैंगकाक, टोकियो, साओल, ज०ज०ग०, अंकारा, अक्रा, वेनेजुइला, अदीस अब्बाबा और मनीला में हुए विभिन्न पुस्तक मेलों में प्रदर्शन के लिए पुस्तकें भेजी गई थीं।

वर्ष 1980-81 के दौरान सिंगापुर/फ्रेंकफर्त, काहिरा बल्ग्रेड, सोफिया लिपजिग और लन्दन में आयोजितत होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने का प्रस्तावव है। बंगलादेश, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स हांगकांग-मलेशिया, अंकारा, नेपाल, अफगानिस्तान घाना, नाइजीरिया, गयाना और फिजी में भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है। 'रिसेन्ट इण्डियन बुक्स' को तिमाही पत्रिका के लिए संघ के अनुवर्ती अंक प्रकाशित करने के लिए संघ की सहायता कररने का भी प्रस्ताव है।

निम्नलिखित आंकड़ों से निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों में हुई प्रगति का पता चलता है:--

1976-77 . .	3.11 करोड़ रुपये
1977-78 . .	4.00 करोड़ रुपये
1978-79 . .	4.80 करोड़ रुपये
1979-80 . .	5.20 करोड़ रुपये (अनुमानित)
1980-81 . .	6.00 करोड़ रुपये (लक्ष्य))

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
5.00	5.00	6.00

IV. राजा राममोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र

इस केन्द्र की स्थापना 1972 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय लेखककला और स्वदेशी पुस्तकों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक सूचना एवं अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करना था। यह केन्द्र विश्वविद्यालय केन्द्रों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की प्रदर्शनियां लगाता है ताकि स्वदेशी पुस्तकों की उपलब्धता का प्रचार हो सके और साथ ही विषय विशेषज्ञों के पैनलों द्वारा पुस्तकों के मूल्यांकन की व्यवस्था भी करता है जिससे कि आयातित पुस्तकों के स्थान पर मानक स्वदेशी पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। यह केन्द्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं और विश्वविद्यालय स्तर की स्वदेशी पुस्तकों के प्रयोग के सम्बन्ध में नमूने के सर्वेक्षणों का आयोजन करता है।

केन्द्र ने अभी हाल ही में पुस्तकों के आयात प्रलेखों का एक विश्लेषण शुरू किया है जिससे कि पुस्तकों की एक सार्थक आयात नीति पर पहुंचने में सहायता मिल सके।

इस केन्द्र को अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक अंकन प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में भी पद नामित किया गया है।

1979-80 के दौरान केन्द्र ने विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की चार प्रदर्शनियां आयोजित की विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की राष्ट्रीय सूची के तीन पूरक अंक प्रकाशित किए और पुस्तक उद्योग सम्बन्धी आवधिक साहित्य के टीकाकृत गाइड के तीन अंक निकाले। इन गतिविधियों को वर्ष 1980-81 के दौरान भी जारी रखा जाएगा।

योजनागत प्रावधान की व्यवस्था केन्द्र के विकासात्मक कार्यकलापों के खर्च को वहन करने के लिए की गई है। स्थापना सम्बन्धी खर्चा मंत्रालय के योजनेतर बजट से वहन किया जाता है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
1.00	1.00	0.90

V. कापीराइट कार्यालय

कापीराइट कार्यालय ने अपने अस्तित्व के गत 22 वर्षों के दौरान 31 मार्च 1980 तक 36450 कृतियां रजिस्टर की हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है : 27,270 कलात्मक कृतियां, 9169 साहित्यिक कृतियां और 11 चलचित्रदर्शी कृतियां। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय ने 1324 मामलों में कापीराइट के ब्यौरों में परिवर्तन रजिस्टर्ड किए हैं।

कापीराइट बोर्ड का कापीराइट अधिनियम 1957 के उपबन्धों के अधीन दर्ज कापीराइट रजिस्ट्रेशन के शुद्धिकरण से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई के लिए भी एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में भी गठन किया गया है। वर्तमान कापीराइट बोर्ड की 31 मार्च 1980 तक 21 बैठकें हुई इसने 199 मामलों में सुनवाई की और 89 मामलों को तय किया।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
0.70	0.42	0.55

VI. अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट

भारत, सन् 1928 से साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय संघ (बर्न संघ) का सदस्य है। सदस्य राज्यों द्वारा देय वार्षिक अंशदान के सम्बन्ध में समय-समय पर संघ की सभा द्वारा निर्धारण किया जाता हैं।

अपने कापीराइट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 'डब्ल्यू० आई०पी०ओ०' कापीराइट और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए कुछ विकासशील देशों के प्रशिक्षणार्थियों को भारत भेजता है। सन् 1979 के दौरान दो प्रशिक्षणार्थी, फिजी और इन्डोनेशिया प्रत्येक से एक-एक आए। 1980-81 के दौरान भी दो प्रशिक्षणार्थियों के आने की आशा है।

भारत तथा मैक्सिको के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच कापीराइट विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
4.87	4.87	5.52

National Institute of Education

छ. हिंदी का विकास

I. अहिन्द भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति :

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत सभी अहिन्दी भाषी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए । इस योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक मिडिल हाई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की शत प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई । पांचवीं योजना में केन्द्रीय सहायता से कुल 80-81 शिक्षकों की नियुक्ति की गई । अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है । वर्ष 78–79 के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति का खर्च राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा तथा 79–80 व उसके बाद नियुक्त होने वाले अतिरिक्त शिक्षकों के लिए धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है ।

1979-80 से ही वित्तीय व्यवस्था की पद्धति को संशोधित करके जो शत प्रतिशत थी, और केन्द्र सरकारों के मध्य 50:50 हिस्से के आधार पर कर दिया गया है । इसके फलस्वरूप पूरी योजना में संशोधन की आवश्यकता हुई ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलनन 1980-811
योजनागत	योजनागत	योजनागत
19.50	10.50	20.00

II. हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज स्कंध खोलना

वर्ष 1979–80 के अंत तक, प्रतिवर्ष लगभग 10000 अध्यापकों के प्रशिक्षण की क्षमता के साथ 19 हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज/स्कंध स्थापित किए गए हैं । इन संस्थाओं का खर्च आजकल राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है । बजट प्रावधान नए संस्थान खोलने के लिए हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलनन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
2.00	2.00	6.60

III. अहिंदी भाषी राज्यों के हिंदी लेखकों को पुरस्कार प्रदान करना :

अन्य बातों के साथ-साथ, इस योजना का उद्देश्य अहिन्दी राज्यों के लेखकों को हिन्दी में भी लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है । इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1500 रुपये प्रत्येक मूल्य के 16 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए 15 पुरस्कार घोषित किए गए हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
0.40	0.49	0.40

IV. स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की वित्तीय सहायता

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रसार तथा विकास में कार्यरत लगभग 130 संगठनों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जैसे, निःशुल्क हिन्दी शिक्षण, टंकण/आशुलिपि कक्षाओं, हिन्दी पुस्तकालयों और वाचनालयों को चलाने, सेमिनार सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए अनुदान दिए गए हैं । अगले वर्ष में भी समान संख्या को सहायता दी जाएगी ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
22.90	11.00	18.00	11.00	20.00	11.00

V. विदेशों में हिंदी का प्रचार

विदेशों में मुख्य रूप से केरिबीथाई देशों, दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम एशिया के देशों और इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों में हिन्दी को प्रोत्साहित करने की योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(1) हिन्दी लिखने को स्थानीय रूप से प्रोत्साहित करना ;

(2) हिन्दी पढने के लिए उनके राष्ट्रों को जहां तक संभव हो स्थानीय रूप से प्रशिक्षित करना ;

(3) पुस्तकालय सुविधाओं की व्यवस्था ;

(4) सम्बन्धित भाषा के अंतर विश्लेषण पर आधारित और अधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करके हिन्दी की शिक्षण सामग्री तैयार करना ;

(5) और अधिक सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत में हिन्दी शिक्षण के तरीकों तथा हिन्दी के उच्च अध्ययन के लिए अधिछात्र वृत्तियों की व्यवस्था करना ; और

(6) उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करके अन्ततः हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके सम्बद्ध निकायों की भाषा के रूप में स्वीकार कराने के लिए वातावरण तैयार करना ।

वर्ष 1979-80 के दौरान विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों को हिन्दी पुस्तकों तथा हिन्दी पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति पर 2.87 लाख रुपये खर्च किए गए ।

पिछले वर्ष की भांति, लगभग 44 विदेशी राष्ट्रिकों को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान नई दिल्ली में हिन्दी पढ़ाने का प्रस्ताव है ।

हमारे विदेशी मिशनों से प्राप्त अनुरोध पर श्रीलंका और फिजी को 20,000 रुपये मूल्य के सात हिन्दी टाइपराइटर भेजे गए ।

मंत्रालय ने हिन्दी के तीन सांस्कृतिक लेक्चरारों को सुरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना में, दो अंशकालिक शिक्षकों को श्री लंका में और भारतीय दूतावास, काठमांडू में एक पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष को जारी रखा ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
7.50	4.79	7.50	3.00	8.00	4.79

VI. केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल आगरा की स्थापना सन् 1961 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी । मंडल, "केन्द्रीय हिन्दी संस्थान" नाम से एक हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का संचालन करता है । प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य के अलावा, संस्थान ने भारतीय और विदेशी छात्रों को सीधे ही भाषा की शिक्षा प्रदान करने का कार्य शुरू किया है । केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का मुख्य परिसर आगरा में है और इसकी शाखाएं दिल्ली, हैदराबाद और शिलांग में हैं । संस्थान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया गया कार्य निम्नलिखित है :—

क. शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

1979-80 के दौरान लगभग 800 भारतीय और विदेशियों को संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया । संस्थान, 17 पूर्णकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करता है, जिनमें हिन्दी शिक्षण निष्णात (एम. एड. के समकक्ष)), हिन्दी शिक्षा पारंगत (बी० एड० के समकक्ष) और प्रयुक्त भाषा विज्ञान आदि में उत्तर एम० ए० डिप्लोमा शामिल है ।

संस्थान, अल्पकालिक पुनश्चर्या एवं सुधार पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है, जिसमें अहिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण कालेजों और उत्तर माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पत्राचार एवं संपर्क पाठ्यक्रम शामिल हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 300 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है । आशा की जाती है कि 1980-81 के दौरान भी इतनी ही संख्या में भारतीय और विदेशियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ।

ख. अनुसंधान और शिक्षण सामग्री का निर्माण

संस्थान विभिन्न स्तरों पर हिन्दी शिक्षण और प्रशिक्षण की तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करता है । 1979-80 के दौरान संस्थान द्वारा 10 पाठ्य-पुस्तकों/कार्य पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई, 13 और पुस्तकों का निर्माण किया गया और अन्य 7 तैयार की जा रही हैं । आशा की जाती है कि वर्ष 1980-81 के दौरान इतनी ही संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन और निर्माण किया जाएगा।

ग. प्रकाशन

1979-80 के दौरान संस्थान के 7 प्रकाशन छपने के लिए भेजे गए है । आशा की जाती है कि 1980-81 के दौरान ये सभी पुस्तकें प्रकाशित हो जाएंगी तथा लगभग 10 और पुस्तकें तैयार हो जाएंगी ।

घ. विस्तार सेवा कार्यक्रम

संस्थान के निदेशक व अन्य शिक्षण स्टाफ को भाषाणों, सेमिनारों और विचार गोष्ठियों में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों/संस्थानों में भेजा जाता है । आलोच्य वर्ष के दौरान, शिक्षण स्टाफ के 14 सदस्यों को इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा गया ।

वित्तीय आवश्यकताएं:

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
25.50	35.10	25.50	32.40	30.00	36.00

VII. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :

1. शब्दावली का निर्माण मूल्यांकन, पारिभाषिक शब्दकोशों, शब्दावलियों का प्रकाशन आदि ।
2. विभिन्न विभागों से सम्बन्धित शब्दावली का विकास।
3. प्रकाशकों के सहयोग से हिन्दी में पुस्तकों का निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन ।
4. अहिन्दी भाषी राज्यों में सार्वजनिक संस्थानों, पुस्तकालयों, और स्कूलों को पुस्तकों की निःशुल्क भेंट ।
5. हिन्दी विस्तार कार्यक्रम ।
6. शब्दकोशों का निर्माण ।
7. पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन ।
8. स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता की मंत्रालय की योजना के अंतर्गत हिन्दी के प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यरत स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों का निरीक्षण, समन्वय और मार्गदर्शन करना ।

वर्ष 1979-80 के दौरान नव-हिन्दी लेखकों की तीन कार्यशालाओं, हिन्दी छात्रों द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी भाषी राज्यों के प्रमुख हिन्दी विद्वानों द्वारा दो अध्ययन दौरे, अहिन्दी भाषी राज्यों के दो भाषण दौरे तथा इसके विपरीत दौरे, भारत तथा विदेशों में हिन्दी पुस्तकों की छः प्रदर्शनियां आयोजित की गई । इसके अतिरिक्त हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन की योजना के अंतर्गत निदेशालय ने सामान्य विषयों में 54 पुस्तकें और कृषि में 65, औषध में 29, फार्मेसी में 4, पशुचिकित्सा विज्ञान में 9 और इंजीनियरी में 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया । इन विषयों में 40 पुस्तकें छप रही हैं । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने पत्र-पत्रिकायें और डाइजेस्ट भी प्रकाशित किए ।

वित्तीय आवश्यकताएं:

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
12.20	50.83	12.09	48.15	15.00	50.73

VIII. पत्राचार पाठ्यक्रम

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, अहिन्दी भाषी लोगों और विदेशियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी पढ़ाने की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है । इन पाठ्यक्रमों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी , तमिल और मलयालयम है ।

वित्तीय आवश्यकताएं:

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
9.00	8.60	9.00

आधुनिक भारतीय भाषाएं

I. हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण की योजना

अधिक से अधिक जितन विषयों में सम्भव हो सके शिक्षा माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को शीघ्र अपनाने के उद्देश्य को लेकर विश्वविद्यालय स्तरीय, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों के निर्माण का एक कार्यक्रम 1968-69 में शुरू किया गया था ।

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों, 31 मार्च, 1980 तक की स्थिति के अनुसार, 5200 से अधिक मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । इनमें 965 अनुवाद हैं ।
काफी पुस्तकें निर्माण के विभिन्न चरणों पर हैं ।

वित्तीय आवश्यकताएं:

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
151.20	136.00	125.00

II उर्दू की पुस्तकों का प्रकाशन

उर्दू के मानक साहित्य के प्रकाशन को सरकार द्वारा एक केन्द्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया है । तरक्की -ए-उर्दू बोर्ड के मार्ग-दर्शन में अब तक 180 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है, जिनमें सन्दर्भ ग्रन्थ, कालेज स्तर की पुस्तकें, स्कूल की पाठ्य-पुस्तकें, पूरक -रीडर, सामान्य-पुस्तकें और बाल साहित्य शामिल हैं। आठ पुस्तकों पर काम चल रहा है तथा 25 प्रेस के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, एक अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश तथा एक उर्दू-उर्दू छात्र शब्दकोश प्रेस के लिए तैयार है ।

चूंकि सुलेखन उर्दू पुस्तक प्रकाशन का एक अभिन्न अंग है, अतः बोर्ड ने सुलेखनों में प्रशिक्षण के लिए दिल्ली, बम्बई और हैदराबाद में तीन सुलेखन केन्द्र शुरू किए हैं और इसके साथ-साथ कला एवं भाषा आकादमी को उनके सुलेखन केन्द्रों के लिए 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जा रही है । गैर-उर्दू भाषी लोगों को पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा उर्दू पढ़ाने के लिए एक योजना बनाई गई है ।

सिंधी की पुस्तकों का प्रकाशन

दो सन्दर्भ ग्रंथ अर्थात् सिन्धी-अंग्रेजी शब्दकोश और सिन्धी व्याकरण प्रकाशित कर दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए विभिन्न विषयों की पाँच पुस्तकों की पाण्डुलिपियों पर भी काम शुरू किया गया था। सिन्धी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए पांच पुरस्कारों की एक योजना भी शुरू कर दी गई है ।

III. वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

	बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
	योजना-गत	योजने-तर	योजना-गत	योजने-तर	योजना-गत	योजने-तर
उर्दू .	12.30	7.50	10.30	6.53	15.00	8.40
सिन्धी .	1.90	—	1.90	—	3.50	—

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, इस मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसके क्षेत्रीय केन्द्र मैसूर-भुवनेश्वर, पूना और पटियाला में है तथा एक उप-केन्द्र सोलन में है । इस संस्थान की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं :—

(1) जनजातीय तथा सीमावर्ती भाषाओं का अध्ययन ।

(2) विभिन्न भारतीय भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण।

(3) शिक्षकों को किसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के योग्य बनाने के लिए उनका प्रशिक्षण ।

इस संस्थान द्वारा जन-संचार के साधनों और शिक्षा में भाषा के विभिन्न प्रयोगों से सम्बन्धित अध्ययन भी आयोजित किए जाते हैं ।

1979-80 के दौरान इस संस्थान ने राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 286 शिक्षकों को 13 भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए दाखिला दिया। भाषाएं सीखने वाले छात्रों के लिए एकता शिविर भी आयोजित किए गए । इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा किए गए अन्य कार्यकलाप :—

(1) अरुणाचल प्रदेश के लिए अंग्रेजी तथा हिन्दी के साक्षरता प्राइमरों का कार्य पूरा किया गया ।

(2) आओ नागा में प्रौढ़ साक्षरता प्रेवशिकाएं तथा एक लेखन पुस्तिका तैयार की गई ।

(3) फरवरी-मार्च, 1979 में आयोजित अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण की समग्र प्रश्नावली का सारणीकरण पूरा किया गया ।

(4) बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के प्रस्तावित तथा प्रायोगिक सामाजिक भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबन्धित एक शब्दसूची तथा एक वाक्य सूची तैयार की गई ।

(5) त्रिवेन्द्रम तथा मद्रास में 8वीं कक्षा के मलयालम तथा तमिल शिक्षकों के लिए पत्राचार तथा प्रसारण पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं ।

इस संस्थान द्वारा अपने जीवन के 10 वर्ष पूरे कर लिए जाने के उपलक्ष में छः गोष्ठियां आयोजित की गई और दस पुस्तकों का विमोचन किया गया ।

अक्तूबर, 1979 के दौरान प्रौढ़ साक्षरता संबन्धी ग्रीष्म-कालीन संस्थान का भी आयोजन किया गया ।

इसके अतिरिक्त यह संस्थान कार्यशालाओं सम्मेलनों तथा विस्तार पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है । संस्थान के सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों में भाग लेने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इस संस्थान के सदस्यों को अन्य देशों में भेजा गया ।

1980-81 के दौरान, जनजातीय भाषाओं प्रौढ़ शिक्षा तथा द्विभाषी सक्षमता संबन्धी अध्ययन सामग्री प्रकाशित करने के अतिरिक्त, क्षेत्रीय केन्द्रों में 360 भाषा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

मुद्रण-प्रेस, तथा छात्रावास के भवन निर्माण का कार्य 1980-81 के दौरान शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए पूंजीगत बजट में 10 लाख रुपये की व्यवस्था उपलब्ध है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
17.68	53.50	14.12	51.51	20.00	60.75

IV. भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस योजना में हिन्दी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक सगठनों/शिक्षा संस्थाओं तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
7.50	5.70	6.00

V. अन्य योजनाएं

राज्य स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अन्य योजनाए केन्द्रीय स्तर पर शुरू की गई हैं :

(i) कोर पुस्तकों का प्रकाशन :

1979–80 के दौरान चिकित्सा विज्ञान की दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तीन पुस्तकें प्रेस में हैं और 7 अन्य पुस्तकें लेखकों/सम्पादकों के पास तैयार हो रही हैं तथा 5 पुस्तकों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

इतिहास की कोर पुस्तकों के लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने 557 पुस्तकें तैयार करने का काम शुरू किया था किन्तु चूंकि प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई अत: परिषद् से इस योजना को बन्द कर देने के लिए कह दिया गया है। तथापि, यह निर्णय किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत अपनी बचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए परिषद् को धनराशि दी जाएगी।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
2.00	2.00	3.00

(II) विश्वविद्यालय स्तर की मौलिक मानक पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार।

यह योजना भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए भारतीय लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिये आरम्भ की गई थीं। इस समय, इस योजना की समीक्षा की जा रही हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
2.80	2.80	3.00

झ. संस्कृत

I. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

यह संस्थान संस्कृति की पारम्परिक शिक्षा प्रदान करता है तथा संस्कृति के प्रसार और संस्कृत साहित्य के प्रकाशन का कार्य करता है। यह संस्थान जम्मू, दिल्ली, इलाहाबाद पुरी, तिरूपति तथा गुरूवायूर में कार्यरत छः केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों का नियंत्रण करता है तथा चौदह संस्थाएं अपनी-अपनी परीक्षाओं के लिये इससे सम्बद्ध हैं।

1979–80 के दौरान विद्यापीठों में दाखिल छात्रों की संख्या 1287 थी। और इनमें से 519 छात्रों को विद्यापीठों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और 346 छात्रों को नि:शुल्क छात्रावास सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आगामी वर्ष के दौरान भी ये सुविधाएं जारी रखी जाएगी। 1979-80 के दौरान पुरी और जम्मू में संस्कृत शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। उत्तर-आचार्य छात्रों तथा जूनियर व्याख्याताओं के लिये शास्त्र चूड़ामणि नामक एक उच्च प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। संस्थान ने 1979 में 2000 छात्रों के लिये परीक्षा का आयोजन किया। मार्च, 1 और अप्रैल, 1980 के दौरान 2175 छात्र परीक्षाओं में बैठेंगे।

संस्थान हिन्दी/अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत का एक पत्राचार पाठ्यक्रम भी चला रहा है। वर्ष 1979–80 के दौरान छात्रों की संख्या 425 थी।

संस्थान द्वारा अनुसंधान तथा प्रकाशन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा लगभग 12 प्रकाशन निकाले गये।

वर्ष 1981 के दौरान संस्थान द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है छठे विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
50.00	54.54	41.43	54.54	52.00	59.60

II संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों/उत्तर मैट्रिक संस्कृत छात्रों/शास्त्री तथा आचार्य के छात्रों को छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत छात्रवृत्तियों की निम्नलिखित योजनाएं चला रहा है :

(क) संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां

अनुसंधान छात्रों को 2 वर्ष की अवधि के लिए 200 रु० मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसकी अवधि योग्यता के आधार पर प्रत्येक मामले में 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 1979–80 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 82 छात्रों की सहायता प्रदान की जा रही थी और आशा है कि यह संख्या 1980–81 में बढ़कर 105 हो जाएगी।

(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

आधुनिक विश्वविद्यालयों के उन छात्रों को जो इण्टरमीडिएट, बी०ए०, एम०ए०, तथा पी०एच०डी० पाठ्यक्रमों में विषय के रूप में संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तथा जिन्हें अर्हक परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त होता है, क्रमशः 40 रु०, 50 रु०, 100 रु० तथा 200 रु० की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 1979–80 में इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने वालों की संख्या 597 थी और वर्ष 1980–81 में यह संख्या बढ़कर 800 हो जाने की संभावना है।

(ग) शास्त्री तथा आचार्य कक्षाओं के छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

इस योजना में देश भर में फैली परम्परागत पाठशालाओं की शास्त्री तथा आचार्य कक्षाओं के छात्रों को क्रमशः 60 रु० तथा 100 रुपये प्रति माह का वजीफा देने की व्यवस्था है। वर्ष 1979–80 में लाभ उठाने वालों की संख्या 220 थी तथा वर्ष 1980–81 में यह संख्या बढ़कर 300 हो जाने की सम्भावना है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
--	9.10	--	9.10	--	9.50

III. संस्कृत, फारसी तथा अरबी के विद्वानों को सम्मान प्रमाण-पत्र के साथ 5,000 रु० वार्षिक वित्तीय अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत हर वर्ष 15 अगस्त को संस्कृत के छः फारसी तथा अरबी के एक-एक विद्वान को राष्ट्रपति का पुरस्कार प्रदान किया जाना है। हर विद्वान को जीवन पर्यन्त 3,000 (79–80 से इसे बढ़ाकर 5,000 रु० कर दिया गया हैं) का वार्षिक वित्तीय अनुदान दिया जाता है इस समय यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या 112 है जिसमें, वे आठ विद्वान भी शामिल हैं जिन्हें यह पुरस्कार 1980 मे दिया गया है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
4.00	4.00	6.00

IV. संस्कृत के प्रचार तथा विकास में कार्यरत स्वैच्छिक संस्कृत संगठन

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को शिक्षकों के वेतन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों, फर्नीचर पुस्तकालय अनुसंधान परियोजना, भवन निर्माण तथा इन संस्थाओं द्वारा संस्कृत के विकास और प्रचार के लिये शुरू किए गए अन्य सहायक कार्यकलापों का खर्च वहन करने के लिये सहायक अनुदान दिए जाते हैं। इस योजना के अधीन 700 से अधिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
9.20	29.50	30.00

V. संस्कृत साहित्य का प्रकाशन

इस योजना के अधीन निम्नलिखित कार्यों के लिए सहायता दी जाती है :

(i) संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित मूल ग्रन्थों का मुद्रण और प्रकाशन,

(ii) अनुपलब्ध संस्कृत पुस्तकों का पुनर्मुद्रण;

(iii) पाण्डुलिपियों की विवरणात्मक सूचियों का निर्माण और प्रकाशन ;

(iv) विभिन्न संस्थाओं में निःशुल्क वितरण के लिए लेखकों और प्रकाशकों से संस्कृत प्रकाशनों की खरीद तथा

(v) संस्कृत पत्रिकाओं की कोटि तथा विषय-वस्तु में सुधार ।

1979-80 के दौरान सरकार की सहायता से 15 प्रकाशन निकाले गए और उसी अवधि के दौरान संस्कृत के 26 प्रकाशन खरीदे गए ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
6.50	6.50	6.00

VI. संस्कृत साहित्य का प्रकाशन-दक्कन कालेज, पूना को अनुदान

ऐतिहासिक सिद्धान्तों के आधार पर एक ऐसा संस्कृत शब्दकोष तैयार करने के लिए दक्कन कालेज को सहायता प्रदान की जा रही है जिससे शोध छात्रों को प्राचीन तथा कठिन संस्कृत पाठों की व्याख्या करने में सहायता मिल सके। प्रथम खण्ड (तीन भाग) तथा द्वितीय खण्ड का प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है ।

वित्तीय अवश्यकताए :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
0.50	6.25	0.50	7.15	1.00	6.25

VII. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत के विकास की योजना

(i) अभावग्रस्त परिस्थितियों में ग्रस्त प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत 1110 से अधिक प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को, जिनकी मासिक आय 150 रुपये से कम है, 150 रुपये प्रतिमास तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है । 1980-81 के दौरान 50 और विद्वानों के नाम इस सूची में जोड़े जाने की सम्भावना है ।

(ii) राज्य सरकारों को उनकी अपनी संस्कृत विकास संबंधी योजनाओं के लिए अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, वेदों के विद्वानों के सम्मान, विद्वत सभाओं के आयोजन, संस्कृत के लिए सायंकालीन कक्षाओं के संचालन, कालिदास समारोह मनाने आदि जैसे संस्कृत के विकास तथा प्रसार सम्बन्धी अपने कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्वतन्त्र हैं । 1979-80 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 8 राज्यों ने लगभग 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त की है । 1980-81 में भी लगभग इतनी ही सहायता दी जाएगी ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
19.80	19.80	20.000

VIII. संस्कृत के अलावा अन्य प्राचीन भाषाओं के के प्रचार तथा विकास में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत अरबी और फारसी जैसी प्राचीन भाषाओं के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के वेतन, छात्रवृत्तियों, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि तथा उनके पाठ्यचर्या सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत 130 से अधिक संस्थाएं सहायता प्राप्त कर रही हैं और 1980-81 में भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
5.00	5.00	5.000

IX. आदर्श संस्कृत पाठशालाएं

इस योजना के अन्तर्गत उन स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता देने की व्यवस्था है जो परम्परागत संस्कृत शिक्षा के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है और जो छात्रों की न्यूनतम निर्धारित संख्या, परीक्षा परिणामों के स्तर, अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों इत्यादि की शर्तें पूरी करती हैं । सहायक अनुदान स्वीकृत आवर्ती खर्च के 95% की दर से तथा स्वीकृत अनावर्ती खर्च के 75% की दर से दिया जाता है ।

1979-80 के दौरान सात संस्थाओं को पहले ही आदर्श संस्कृत पाठशालाओं के रूप में घोषित किया जा चुका है तथा उन्हें अनुदान भी दे दिया गया है। 1980-81 के दौरान इन संस्थाओं की सूची में कुछ और संस्थाएं जोड़े जाने की सम्भावना है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
88.00	2.00	8.00	2.00	10.00	2.00

X. संस्कृत की प्रोन्नति की अन्य योजनाएं :

इनमें शामिल हैं "अखिल भारतीय वक्तृत्व प्रतियोगिता" तथा "मौखिक वेद पाठ की परम्परा के परिरक्षण" की योजनाएं।

वित्तीयय आवश्यकताएं

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
1.00	1.00	1.00

ञ. तकनीकी शिक्षा

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर और दिल्ली स्थित पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना इन्जीनियरी तथा प्रयुक्त विज्ञानों में उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण के केन्द्रों के रूप में तथा स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए की गई थी। इन संस्थानों में कोटि सुधार, सकाय विकास पाठ्यचर्या आयोजन तथा अन्तर्विषयक अनुसंधान तथा परामर्शी कार्यक्रमनों की व्यवस्था है।

ये संस्थान, इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न श्रेणी में प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री के पांच वर्षीय अवर स्नातक कार्यक्रम संचालित करते हैं। इन संस्थाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित में पांच वर्ष की अवधि के समेकित मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रमों, विभिन्न विशेष विषयों में दो वर्षीय प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों तथा चुनिन्दा क्षेत्रों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इन्जीनियरी विज्ञान, मानविकी और समाजविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पी० एच० डी० कार्यक्रमों की व्यवस्था है। प्रत्येक भा० प्रौ० संस्थान में विशेषज्ञता के निर्धारित क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के उच्च केन्द्र भी हैं। 1979-80 के दौरान इन पांचों संस्थानों में दाखिल तथा सफल होकर जाने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित है :

भा० प्रौ० सं०	अवर स्नातक	स्नातकोत्तर	अनुसंधान	कुल	सफल होकर जाने वाले छात्र
1	2	3	4	5	6
खड़गपुर . .	1422	773	221	2416	733
बम्बई . .	1438	607	303	2348	508
मद्रास . .	1229	633	621	2483	522
कानपुर . .	1200	477	343	2020	593
दिल्ली . .	1140	614	598	2352	398
योग . .	6429	3104	2086	11619	2754

इस वर्ष के दौरान किए गए मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

इस संस्थान ने अवर स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर संगणक विज्ञान में एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया। वनीज-इंजीनियरी तथा प्रबन्ध माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स तथा अर्थ कन्डक्टर यन्त्रों में नये वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। इसी वर्ष के दौरान समुद्र वास्तुशिल्प में एम० टेक० का एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

संकाय/अनुसंधान छात्रों द्वारा 315 निबंध प्रकाशित किए गए। इंजीनियरी तथा अध्यापकों के लाभ के लिए 20 ग्रीष्म/शीत स्कूल तथा अल्प अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष परामर्श से 20,520/ की आय हुई अन्य देशों के साथ विनिमय कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनेक संकाय सदस्यों ने अन्य देशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस संस्थान ने अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने विविध कार्यकलापों को भी जारी रखा।

वर्ष 1980-81 के दौरान कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी और एक्वा कलचरल इंजीनियरी में अवर स्नातक स्तर पर नये वैकल्पिक शुरू करने का संस्थान का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर स्तर पर, क्राईओजेनिक इंजीनियरी पोस्ट हारवस्ट इंजीनियरी, माइक्रोवेव तथा आप्टीकल सिस्टम इंजीनियरी तथा सामग्री विज्ञान में नये विकल्पों को शुरू करने का विचार है।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, बंबई

इस संस्थान ने मास्टर ग्राफ डिजाईन की उपाधि प्रदान करने के लिए एक नया अवर स्नातक कार्यक्रम शुरू किया। अध्यापकों तथा इंजीनियरों के लाभ के लिए इस वर्ष के दौरान 40 अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित किए गए। संकाय सदस्यों द्वारा 96 शोध प्रकाशन निकाले गए। परामर्शी से 9.36 लाख की कुल आय हुई। प्रायोजित परियोजनाओं के लिए जो राशि प्राप्त हुई वह 36.47 लाख रु० है।

इस संस्थान ने अपनी अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा वर्कशापों में नये उपस्कर बढ़ाकर उन्हें और सुदृढ़ किया। अनुसंधान इंजीनियरी अध्ययन केन्द्र ने कान्या में मिट्टी की जांच के लिए एक परामर्शी परियोजना का कार्य शुरू किया। राडार परियोजना केन्द्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी माइक्रोवेव गारनेट सामग्री की प्रयोगशाला का विकास। औद्योगिक डिजाइन केन्द्र ने जनवरी 1979 में एक नया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम शुरू किया। मृतिका इंजीनियरी अनुभाग ने काली कपास मिट्टी की समस्या को सुलझाने के लिए नये तकनीकों का विकास किया। जिन्हें विश्व बैंक से मान्यता प्राप्त हुई। इन तकनीकों का कई राज्यों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

वर्ष 1980-81 के दौरान संसाधन इंजीनियरी ऊर्जा प्रणाली इंजीनियरी, आफशोर इंजीनियरी तथा बहुलक विज्ञान इंजीनियरी में स्नातकोत्तर स्तर पर अन्तर विषयक पाठ्यक्रम शुरू करने का संस्थान का प्रस्ताव है। जीव प्राणदिक प्रणाली, पैट्रोलियम इंजीनियरी तथा समाज विज्ञान के क्षेत्रों में विभागीय पाठ्यक्रम भी शुरू करने का विचार है। वर्ष 1980-81 में जिन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है, उनमें भवन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कम्प्यूटर डिजाइन तथा उच्च ताप प्रौद्योगिकी शामिल है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

इस संस्थान ने व्यवसायी प्रबन्धकों के लाभ के लिए सामग्री प्रबन्ध तथा उत्पादन प्रबन्ध में 4 महीने का एक नया अल्पावधि पाठ्यक्रम शुरू किया। अंग्रेजी तथा इतिहास में पी० एच० डी० कार्यक्रम शुरू किए गए। वर्ष 1980-81 के दौरान इस संस्थान ने समुद्र इंजीनियरी में एम० टेक का एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया। इसने जर्मन भाषा के शिक्षण तथा अध्ययन के लिए एक 8 बूथ वाली भाषा प्रयोगशाला भी स्थापित की।

इस वर्ष के दौरान संकाय सदस्यों तथा अनुसंधान छात्रों ने 453 शोध निबंध तथा 7 पुस्तकें/निबन्ध निकाले। सतत शिक्षा कार्यक्रम तथा कोटि सुधार कार्यक्रम दोनों के अन्तर्गत ही सेमिनार, सम्मेलन तथा अल्पअवधि पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। अप्रैल से अक्तूबर 1979 तक की अवधि के दौरान इस संस्थान ने 9.67 लाख रु० के 349 परामर्शी कार्यों को हाथ में लिया। इसके अतिरिक्त 24 प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं पर भी कार्य आगे बढ़ा। वर्ष के दौरान अपनी प्रयोगशालाओं में विभिन्न बड़े-बड़े उपस्करों को बढ़ाने के अतिरिक्त इस संस्थान ने 23 उपस्कर मदों का भी निर्माण किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए प्रौद्योगिकीय औजारों के विकास की दिशा में ग्रामीण विकास केन्द्र ने महत्वपूर्ण प्रगति की।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

इस संस्थान ने कम्प्यूटर विज्ञान में एक नया 5 वर्षीय बी० टेक० पाठ्यक्रम शुरू किया। 152 परामर्शी/जांचा कार्यों को हाथ में लिया गया जिससे लगभग 1.84 लाख रु० की राशि प्राप्त हुई। और 75 परामर्शी परियोजनाओं से 7.00 लाख रु० की राशि प्राप्त हुई। लगभग 800 शोध निबंध या तो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए अथवा सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए। इस वर्ष के दौरान संस्थान ने छः पुस्तकें भी प्रकाशित की। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई सम्मेलन/संगोष्ठियां तथा गहन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

विद्युत इंजीनियरी विभाग ने अवर स्नातक स्तर पर साइबर्नेटिक्स भाषा आयोजन और विज्ञान गतियों में नये बिकल्पों को आरम्भ किया। उत्तर स्नातक स्तर पर 'संगणक संचार तन्त्र संघिताकरण तथा क्राइटोग्राफी' में पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये। यांत्रिक इंजीनियरी विभाग ने उत्तर स्नातक स्तर पर परियोजना प्रबन्ध में एक नये पाठ्यक्रम का विकास किया तथा मशीन औजार डिजाइन के अपने एम० टेक० पाठ्यक्रम का सुधार किया। भौतिकी विभाग ने आप्टो-इलेक्ट्रानिकी में एक दो वर्षीय एम० टेक० पाठ्यक्रम का विकास किया। इस विभाग ने एम० एस० के छात्रों के लिए इन्फ्रा रेड इंजीनियरिंग तथा आप्टिकल-इलाक्ट्रानिक्स में भी पाठ्यक्रमों का विकास किया। जीव चिकित्सा इंजीनियरी केन्द्र ने पूर्व पी० एच० डी० कार्यक्रम के रूप में जीव सामग्रियों का एक पाठ्यक्रम भी चलाया।

इस वर्ष के दौरान 435 शोध निबन्ध निकाले गए। इसके अतिरिक्त 118 निबन्ध विभिन्न सेमिनारों/संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए। वर्ष के दौरान विभागों ने 15 पुस्तकें भी प्रकाशित की। कार्यरत इंजीनियरों तथा अध्यापाकों के लिए 54 ग्रीष्म/शीतकालीन स्कूलों, अल्पकालीन पाठ्यक्रमों तथा सेमिनारों का भी आयोजन किया गया। इस वर्ष के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं से 18 लाख रु० की राशि प्राप्त हुई।

अन्तः विषयक अनुसंधान को समेकित करने के लिए इस संस्थान ने पर्यावरण विज्ञान के एक नये केन्द्र की स्थापना की। भौतिकी विभाग ने इन्फ्रा रेड अन्वेषक प्रौद्योगिकी

के लिए एक नई प्रयोगशाला का विकास किया। विभागों द्वारा परिष्कृत उपकरणों की 67 मदों का डिजाइन तथा निर्माण किया गया। लेसर प्रयोग, सालिड स्टेट उपकरणों, परिवहन तथा समुद्र इंजीनियरी के क्षेत्रों में प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ की गई थी।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपये)

भा० प्रौ० सं०	बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
खड़गपुर	133.00	376.98	133.00	383.76	133.00	398.40
बम्बई	124.00	401.22	124.00	399.59	143.00	421.46
मद्रास	107.00	369.59	107.00	350.86	120.00	379.56
कानपुर	108.09	436.36	108.00	433.91	130.00	462.14
दिल्ली	109.00	363.31	109.00	365.21	109.00	397.98
अनिर्धारित	19.00		19.00		65.10	
	600.00	1947.46	600.00	1933.24	700.00	2059.54

II. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

तीसरी तथा अनुवर्ती योजना अवधियों के दौरान प्रशिक्षित कर्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरी तथा तीसरी योजना अवधियों के दौरान केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में प्रत्येक मुख्य राज्य में एक-एक करके 15 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थापित किए गए थे। सिलचर (असम) स्थित पन्द्रहवें कालेज ने अपना कार्य नवम्बर, 1977 में ही शुरू किया जब कि सभी कालेजों में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में प्रथम डिग्री के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, तेरह कालेजों में उत्तर स्नातक तथा डाक्टरेट कार्यक्रमों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की प्रशिक्षण क्षमता अवर स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 3490 तथा उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 509 है। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को मिलाकर वर्ष 1978 के दौरान अवर स्नातक तथा उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के वास्तविक दाखिले और पास होने वालों की संख्या क्रमशः 3614 तथा 2252 थी। वर्ष 1979-80 के दौरान इन कालेजों की विद्यमान सुविधाओं के समेकन, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और अनुसंधान कार्यकलापों के विकास पर बल दिया गया है।

वित्तीय आवश्यकताएं

(लाख रुपए)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
300.00	410.00	300.00	410.00	280.00	430.50

III. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नये इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे लाभदायक रोजगार पाने के योग्य बन सकें। यह कार्यक्रम प्रशिक्षुता (संशोधित) अधिनियम, 1973 के कार्यक्षेत्र में आ गया है जिससे इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण को सांविधिक आधार प्राप्त हो गया है। प्रशिक्षण आमतौर पर सितम्बर-अक्तूबर में आरम्भ हो जाता है और एक वर्ष चलता है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन और प्रशिक्षता (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों को लागू करने का कार्य कानपुर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित चार प्रशिक्षता प्रशिक्षुण बोर्डों द्वारा किया जाता है। ये बोर्ड स्वायत्त संगठन है और इनका पूर्ण वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रशिक्षुता अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 29-2-1980 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 12519 प्रशिक्षार्थी (5001 इंजीनियरी स्नातक तथा 7518 डिप्लोमाधारी) थे।

1980-81 के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है :—

(i) विभिन्न स्थापनाओं में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त स्थान।

(ii) सान्तराल पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं।

(iii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त विषय क्षेत्र

(iv) स्कूल शिक्षा के +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

(v) प्रशिक्षण की कोटि में सुधार लाने के लिए विशेष पर्यवेक्षकीय विकास कार्यक्रमों सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन।

(vi) मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और कानपुर स्थित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना।

यह बजट व्यवस्था बजीफे में सरकार के हिस्सा के लिए की गई है

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
23.00	130.00	20.75	101.00	45.00	130.34

IV. कानपुर, मद्रास कलकत्ता और बंबई स्थित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 4 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड अर्थात् कानपुर, मद्रास कलकत्ता और बम्बई में एक-एक स्थापित किये गए हैं। इन बोर्डों के निदेशकों को अपने-अपने क्षेत्र में प्रशिक्षुता (संशोधन) अधिनियम, 1973 के उपबन्धों को, जिनसे कार्यक्रमों का संचालन अभिशासित होता है, लागू करने के लिए सांविधिक अधिकार प्राप्त है।

बजट व्यवस्था बोर्ड के कार्यकलापों के लिए की गई है और इसमें बजीफे शामिल नहीं है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपए)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
2.00	12.00	—	12.00	5.00	12.50

V. कोटि सुधार कार्यक्रम

कोटि सुधार कार्यक्रम 1970-71 में इस दृष्टि से आरम्भ किया गया था कि भारत की तकनीकी शिक्षा पद्धति की कोटि और स्तर में सुधार किया जा सके। इस निम्नलिखित कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :

(i) 2 वर्षीय एम० टेक० कार्यक्रम

(ii) 3 वर्षीय डाक्टोरल कार्यक्रम

(iii) कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों पर लघु पाठ्यक्रम

(iv) उद्योग में अल्पकालीन पाठ्यक्रम

(v) आई० एस० टी० ई० के माध्यम से ग्रीष्म संस्थान कार्यक्रम।

(vi) पाठ्यचर्या विकास

1979-80 के दौरान, गत वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापकों के अतिरिक्त 80 नए अध्यापकों को एम० टेक० के लिए और 120 अध्यापकों को पी० एच० डी० के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। ग्रीष्म स्कूल कार्यक्रम के अन्तर्गत 1200 से 1400 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना था। पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम, कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों में 14 दलों द्वारा आयोजित किया गया था। लगभग 1200 डिग्री/डिप्लोमा अध्यापकों को उद्योगों में अल्पकालीन व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना था।

इंजीनियरी संस्थाओं को सीधी केन्द्रीय सहायता

यह योजना तकनीकी शिक्षा की कोटि तथा स्तरों में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण चुनिन्दा क्षेत्रों में इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से 1976-77 में आरम्भ की गई थी।

1979-80 के दौरान 73.00 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता के लिए 18 इंजीनियरी कालेजों को चुना गया है। 30 पालिटेक्निकों को भी 57.33 लाख रु० की राशि का अनुदान दिया गया है।

सामुदायिक पालिटेक्निकों को सहायता

इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक पालिटेक्निक का नाम देकर उपयुक्त पालिटेक्निकों को ग्रामीण समुदाय तक प्रौद्योगिकी को ले जाने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए चुना जाता है। 1978-79 के दौरान 35 सामुदायिक पालिटेक्निक चुने गए और उन्हें 37.81 लाख रु० की सहायता दी गई। इन पालिटेक्निकों को 1979-80 के दौरान 89.65 लाख रु० की राशि का अनुदान दूसरी किश्त के रूप में दिया गया है। यह योजना 1980-81 के दौरान भी चलती रहेगी॥

नये कार्यक्रम

1980-81 से निम्नलिखित नई योजनाएं भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है :

(i) चुने हुए पालिटेक्निकों में उच्च तकनिशियन पाठ्यक्रम

(ii) (क) डिप्लोमाधारी पालिटेक्निक शिक्षकों के लिए तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

(ख) पालिटेक्नकों के शिक्षकों के लिए उद्योगोन्मुख स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(iii) वर्षों के बाद देश में विकसित विशेषज्ञता का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए भा० प्रो० संस्थाओं तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी संस्थाओं से शुरू होने वाला संस्थाओं का एक जाल।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
2220.00	75.00	220.000	75.00	300.00	75.00

VI. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों के पालिटेक्निक शिक्षकों को सेवा पूर्व तथा सेवा कालीन प्रशिक्षण देने के लिए 1966-67 में कलकत्ता, भोपाल, मद्रास तथा चण्डीगढ़ में स्थापित किए गए थे । ये संस्थान डिग्रीप्राप्त शिक्षकों के लिए 12 महीने का तथा डिप्लोमाधारी शिक्षकों के लिए 18 महीने का पाठ्यक्रम चलाते हैं ।

ये संस्थान (1) अल्पावधि सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और (2) इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा के कोर्स सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्यचर्या विकास का भी आयोजन करते हैं । इन संस्थानों ने विभिन्न क्षेत्रों में यू० एन०डी०पी० परियोजनाएं भी शुरू की हैं ।। विस्तार सेवाओं का कार्य भी शुरू किया गया।

इस वर्ष के दौरान लगभग 200 शिक्षक प्रशिक्षक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
85.00	81.19	84.800	72.62	80.00	82.46

VIII. आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली

यह एक प्रमुख संस्था है और इसकी स्थापना सन् 1959 में, ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना और भूदृश्य वास्तुकला तथा इसके साथ ही वास्तुकला, नगरीय डिजाइन व सम्बद्ध विषयों में प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी । मानव बस्तियों से संबंधित स्कूल के शैक्षिक कार्यक्रमों तथा अनुसंधान और विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण को और अधिक व्यापक रूप से प्रसार करने के उद्देश्य से इस स्कूल को वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत एक "विश्वविद्यालय समझी जाने" वाली संस्था का दर्जा प्रदान किया गया है ।

वर्ष 1979-80 के दौरान स्कूल में वास्तुकला में स्नातक पाठ्यक्रम में 34 छात्रों को तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 38 छात्रों को दाखिला दिया गया । 31-1-80 को अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या 254 और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 78 है ।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
20.00	44.70	14.68	35.92	20.00	47.00

VII. राष्ट्रीय गढ़ाई तथा ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची

यह संस्थान, यू० एन० डी० पी०/यूनेस्को की सहायता से, अल्प-अवधि वाले पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, 18 महीने की अवधि के उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और 24 महीने की अवधि के उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्योग में कार्यरत तकनीशियनों तथा इंजीनियरों को ढलाई तथा ढाढ़ाई प्रौद्योगिकी और सम्बद्ध विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए, स्थापित किया गया था । संस्थान, उद्योगों के सहयोग से अनुसंधान आयोजित करता है ।

वर्ष 1979-80 के दौरान, संस्थान में, उच्च डिप्लोमा, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 179 छात्रों की दाखिल किया गया । वर्ष के दौरान संस्थान ने 6 ढलाई/गढ़ाई उद्योगों को परामर्श सेवाएं प्रदान की ।

वित्तीय अवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
15.00	26.98	8.49	26.98	15.10	31.57

IX. औद्योगिक इंजीनियरी में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान बंम्बई

यह संस्थान यू० एन० डी० पी० की सहायता से 1963 में स्थापित किया गया था । इस संस्थान में औद्योगिक

प्रशासकों के लिए अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रम और औद्योगिक इंजीनियरी में एक उत्तर स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जाता है। संस्थान परामर्श देने का कार्य भी करता है।

1979-80 के दौरान, औद्योगिक इंजीनियरी में द्विवर्षीय उत्तर-स्नातक कार्यक्रम में 48 छात्रों ने दाखिला लिया। संस्थान ने लगभग 1750 प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 90 विकास कार्यक्रम संचालित किए।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
22.00	40.78	22.00	34.37	20.00	41.73

X. भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

यह कालेज, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों और भारत सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में सन् 1957 में स्थापित किया गया था। इस कालेज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सामान्य प्रबन्ध और इसके साथ साथ कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे कि उत्पादन, विपणन, वित्त, कार्मिकों, सामग्री प्रबन्ध और निवेश आयोजना में उत्तर अनुभव प्रबन्ध विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाता है। यह कालेज, सामान्य प्रबन्ध, कार्यात्मक प्रबन्ध, प्रबन्ध विज्ञानों के क्षेत्रों और चुने हुए राष्ट्रीय क्षेत्रों में 50 से अधिक पाठ्यक्रम/सेमिनार आयोजित करता है। इसको केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सदस्य संगठनों के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर कालेज द्वारा किए गए व्यय के एक भाग की प्रति पूर्ति के लिए मन्त्रालय, नियमित रूप से अनुदान देता है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
5.00	2.50	—	2.50	45.00	2.50

XI. क्षेत्रीय कार्यालय

देश में तकनीकी शिक्षा विकास के समन्वय के लिए कलकत्ता, बम्बई, कानपुर और मद्रास में स्थापित ये कार्यालय मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय हैं।

ये चारों कार्यालय, अपने-अपने क्षेत्र में अ०भा०त०शि०प० की विभिन्न योजनाओं के कार्यों का समन्वय करते हैं और अ०भा०त०शि०प० को अपनी सिफारिशें तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में भी मदद देते हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
11.16	11.14	11.83

XII. विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता

विदेश जाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत, विश्वविद्यालयों तथा उसी प्रकार की अन्य शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को, महत्वपूर्ण सम्मेलनों की बैठकों में भाग लेने और लेख प्रस्तुत करने तथा विशेष रूप से सम्मेलनों या बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए यात्रा किराए का एक भाग वहन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1979-80 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 8 वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की गई।

वित्तीय आवश्यकताए :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
0.70	0.50	0.50

XIII. एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगकाक

सन् 1967 में स्थापित एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगकाक एक स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर स्नातक इंजीनियरी संस्थान है; यह न्यासियों के एक अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा अधि शासित होता है, जिसमें भारत सहित विभिन्न एशियाई देशों के प्रतिनिधि हैं। संस्थान के शैक्षिक विकास में भारत के सहयोग के संबंध में संस्थान से प्राप्त एक प्रस्ताव पर प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपये के विदेश निर्मित उपस्कर दान में देकर और संस्थान के निकाय में भारतीय विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करके भारत से सहायता देने का निर्णय किया गया है।

1979-80 के दौरान दो भारतीय शिक्षाविद अल्पकाल के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे। लगभग 1.50 लाख रु० की लागत के उपकरण दान में दिए जा चुके हैं और 6 लाख रु० के और उपकरण दान में देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
4.00	2.00	4.00

XXIV. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्य का विकास

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों औरर अनुसंधान कार्य के विकास की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 13 राज्य सरकारों और 14 गैर-सरकारी स्नानात्तकोत्तर संस्थाओं को सीधे ही सहायता दे रही है। 1977-78-79 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत 29 संस्थाओं कोगे शामिल किया गया वर्ष 1979-80 से, दो संस्थाएं, अर्थात् गुइंडी इंजीनियरी कालेज (सरकारी) और मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, महास (गैर-सरकारी) को अन्ना पेररिगनार प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुइंडी का एक भाग बना दिया है औरर अनन्तपुर एवं काकीनाडा के इंजीनियरी कालेज, जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद के भाग बनन गए हैं। इन संस्थाओं को 1980-81 से वि०अ०आ० द्वारा निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्रालय, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को सहायता के विद्यमान मानदण्डों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उत्तरतर-स्नातक बोर्ड ने 37 नए पाठ्यक्रम आरम्भ करने की स्वीकृति दे दी है: स्नातकोत्तर शिक्षा की सम्पूर्ण पद्धति का एक उच्च अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा इस समय पुनरीक्षण किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष डा० वाई० नायुडम्मा हैं।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1000.00	152.00	25.00	150.00	52.00	150.00

XXV. इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में छात्रावासों के निर्माणार्थ केन्द्रीय सहायता

अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् की सिफारिश पर तकनीकी संस्थाओं को छात्रावासों के निर्माणार्थ ब्याज रहित ऋण देने का निर्णय किया गया ताकि छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। केन्द्रीय सरकार संस्थाओं को गत 13 वर्षों से सहायता देती आ रही है। तथापि पुनर्रीक्षण के बाद, वर्ष 1979-80 से योजना को राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया। विगत में तकनीकी संस्थाओं को स्वीकृत किए गए 50 प्रतिशत ऋणों को बट्टे खाते डालने के आधार से योजनेतर शीर्ष के अन्तर्गत 5.00 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
5.00	5.00	5.00

ट. सचिवालय

निम्नलिखित प्रावधानों में विभाग के योजनेतर एवं योजनागत स्थापना के रख-रखाव का खर्च आतिथ्य और आदर-सत्कार खर्च, प्रकाशन, आयोजना तथा सांख्यिकीय एकक, छात्र सूचना सेवा और कापीराइट कार्यालय का खर्च शामिल है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80		संशोधित प्राक्कलन 1979-80		बजट प्राक्कलन 1980-81	
योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
6.00	184.89	4.75	179.99	5.40	192.54

प्रकाशन एकक

अनेक तदर्थ प्रकाशनों के अतिरिक्त, प्रकाशन एकक (अंग्रेजी और हिंदी) इस मंत्रालय की ओर से निम्नलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं:—

(1) दि एज्यूकेशन क्वार्टरली (अंग्रेजी)

(2) इंडियन एज्यूकेशन एबस्ट्रेक्टस (अंग्रेजी)

(3) संस्कृति (हिंदी)

(4) शिक्षा विवेचन (हिंदी)

(5) मंथली डाईजेस्ट (अंग्रेजी और हिंदी) (केन्द्र और राज्यों में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपुर्ण घटनाओं का सारांश)।

2. वर्ष 1979-80 के दौरान पत्रिकाओं सहित 55 प्रकाशन (अंग्रेजी और हिंदी में) प्रकाशित किए गए थे।

3. 1980-81 के दौरान 60 प्रकाशन पत्रिकाएं (अंग्रेजी और हिंदी में) प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

4. एकक के प्रदर्शन-कक्ष-एवं-बिक्री भंडार में मंत्रालय तथा कुछ अन्य संगठनों, जैसे ललित कला अकादमी, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रकाशन तथा जिला गजेटियर प्रदर्शित किए जाते हैं तथा बेंचे जाते हैं।

5. एकक ने, फरवरी-मार्च, 1980 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक मेले में भाग लिया।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनेतर	योजनेतर	योजनेतर
6.00	6.00	6.50

सांख्यिकी

(i) शैक्षिक सांख्यिकीय पर सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन

मंत्रालय ने, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 24-25 सितम्बर, 1979 को शैक्षिक सांख्यिकी पर सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में, राज्य शिक्षा विभागों के शैक्षिक सांख्यिकी के सांख्यिकी कार्य प्रभारी अधिकारियों तथा केन्द्रीय तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ii) शैक्षिक सांख्यिकीय से संबंधित स्थाई समिति

वर्ष 1979-80 के दौरान शैक्षिक सांख्यिकी से संबंधित स्थाई समिति की 17 मई, 1979 तथा 26 सितम्बर, 1979 को दो बैठकें आयोजित की गई थीं। किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) 'भारत में स्कूल शिक्षकों के वेतनमान' नामक प्रकाशन का, अप्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में अतिरिक्त सूचना एकत्र करके तथा शिक्षकों को वेतनमानों की विभिन्न केन्द्रीय संगठनों और सार्वजनिक उद्यमों के श्रेणी III के स्टाफ के साथ तुलना करके विस्तार किया जाए।

(2) राज्य सांख्यिकी अधिकारियों/शैक्षिक सांख्यिकी के प्रभारियों का एक सम्मेलन, शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने में उनके समक्ष आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए, प्रति वर्ष आयोजित किया जाए।

(3) वर्ष 1980-81 से फार्म ई०एस० VI में पंच-वर्षीय शैक्षिक आंकड़े एकत्र करना शुरू किया जाए।

(4) मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विषयोन्मुख अध्ययन आयोजित किए गए :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा,

(ख) भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम,

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों के ब्यौरे।

प्रकाशन

वर्ष 1979-80 के दौरान बारह प्रकाशन प्रकाशित किए गए।

(iii) आयोजना और जाँच

वर्ष 1980-81 के लिए शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की एक केन्द्रीय वार्षिक योजना तैयार की गई तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उसे योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया। योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप वर्ष 1980-81 के लिए 85.48 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

इस मंत्रालय ने 1980-81 के लिए राज्यों की वार्षिक योजना के संबंध में चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श के बाद समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया।

राज्यों में आयोजना, जाँच और सांख्यिकीय कक्षों को सुदृढ़ बनाने की योजना

राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार यह योजन राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित करदी गई है और संपूर्ण प्रावधान को मंत्रालय के बजट में से वापस कर दिया गया है।

शिक्षा नीति तैयार करने आदि के संबंध में उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याओं से संबंधित अध्ययन परियोजनाएं

औपचारिक योजना को 1980-81 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। 1979-80 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
7.50	3.00	10.00

छात्र सूचना सेवा एकक

यह एकक छात्रों/उनके माता-पिताओं और अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए उच्च शिक्षा के संबंध में सूचना एकत्र, संकलित तथा इसका प्रचार करता है। इस प्रयोजन के लिए एकक का एक संदर्भ पुस्तकालय है जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से तथा विदेशों में भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना सामग्री होती है।

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में लघु संगणक टर्मिनल स्थापित करना

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (इलेक्ट्रोनिक्स विभाग) के सहयोग से एक लघु संगणक टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है मंत्रालय को संगणक प्रबंध सूचना प्रणाली से सज्जित करना; इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय में 10 उप-प्रणालियां निर्धारित की गई हैं। विभिन्न वर्गों के अधिकारियों के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनेक व्याख्यान आयोजित करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय आवश्यकताएं :

(लाख रुपये)

बजट प्राक्कलन 1979-80	संशोधित प्राक्कलन 1979-80	बजट प्राक्कलन 1980-81
योजनागत	योजनागत	योजनागत
2.00	2.00	2.00

D-84

NIEPA DC
D00084

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No........................
Date..........................

MGIPRRND—7E&C/80—III—Dly—0-7-80—750